

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.XXII, Ninth Session, 2011/1933 (Saka)
No.24, Thursday, December 29, 2011/ Pausa 8, 1933(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCE	2
PAPERS LAID ON THE TABLE	3
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	4
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	5
Statement	
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	5
24th and 25th Reports	
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 13 th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Production, Pricing and Distribution of Molasses, pertaining to the Ministry of Chemicals and Fertilizers	
Shri Srikant Jena	6-12
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	13-35
Situation arising out of spread of Encephalitis and Brain Fever in various part of the country in Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar	
Yogi Aditya Nath	13, 18-21
Shri Ghulam Nabi Azad	13-18 37-44
Shri Ramesh Bais	22-23
Dr. Bhola Singh	23-25

Shri Suresh Kashinath Taware	26
Shri Shailendra Kumar	27-30
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2011	45
MATTERS UNDER RULE 377	46-57
(i) Need to control the prices of fertilizers in the country and to ensure its availability to the farmers at reasonable price.	
Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	46
(ii) Need to develop the Cuddalore port in Tamil Nadu.	
Shri S. Alagiri	47
(iii) Need to restart the closed cloth mills of Indore, Madhya Pradesh and also give the workers of the closed Mills their dues	
Shri Sajjan Verma	48
(iv) Need to send a central team to inspect the quality of work executed under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission in Madhya Pradesh	
Shri Premchand Guddu	49
(v) Need to accord environmental clearance to Karwapa and Channa minor irrigation projects in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra	
Shri Marotrao Sainuji Kowase	50
(vi) Need to impress upon the Government of Uttarakhand to extend the benefits of Sixth Pay Commission and Assured Career Progression to Group 'D' Employees of the State	
Shri Satpal Maharaj	51

- (vii) Need to increase the frequency of daily trains between Mahua and Bhavnagar in Gujarat and convert railway line between Amreli and Dhasa into broad gauge
Shri Naranbhai Kachhadia 52
- (viii) Need to enhance the Minimum Support Price of cotton and provide financial relief to the distressed cotton farmers
Shri Hansraj G. Ahir 53
- (ix) Need to provide houses under Indira Awas Yojana to BPL families in each Gram Panchayat and also make provision for construction of Indira Awas from MPLADS fund
Shrimati Yashodhara Raje Scindia 54
- (x) Need to provide Rake Point Facility at Modasa Railway Station in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Mahendrasinh P. Chauhan 55
- (xi) Need to ensure participation of farmers in industries whose lands have been acquired for setting up of industries in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Mansukhbhai D. Vasava 56
- (xii) Need to open a Central ~~Agricultural~~ College in Dakshin Dinajpur, West Bengal.
Shri Prasanta Kumar Majumdar 57
- RE: A COURT CASE IN RUSSIA 69**
SEEKING BAN ON BHAGWAT GEETA

VALEDICTORY REFERENCE

70-73

NATIONAL SONG

73

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 29, 2011/ Pausa 8, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of our former colleague Dr. Bapu Kaldate.

Dr. Bapu Kaldate was a Member of the Sixth Lok Sabha from 1977 to 1979 representing the Aurangabad Parliamentary Constituency of Maharashtra.

Dr. Kaldate was a Member of the Rajya Sabha from 1984 to 1996 for two terms representing the State of Maharashtra. He served as a Member of the Maharashtra Legislative Assembly from 1967 to 1972.

An able Parliamentarian, Dr. Kaldate served as the Chairman of the Committee on Public Undertakings during the Sixth Lok Sabha. He also served as a Member of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House during the Sixth Lok Sabha.

An active social and political worker, Dr. Kaldate played a significant role in developmental activities in his constituency and took special interest in the cooperative movement.

Dr. Bapu Kaldate passed away on 17th November, 2011 at the age of 81.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.01 ½ hrs.

The Members then stood in silence for a short while

11.02 hrs.**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam speaker, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited (formerly Hindustan Latex Limited), Thiruvananthapuram, for the year 2010-2011.
- (2) Annual Report of the HLL Lifecare Limited (formerly Hindustan Latex Limited), Thiruvananthapuram, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 6106/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): Madam, On behalf of my colleague Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table:- I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rehabilitation Council of India, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rehabilitation Council of India, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6107/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rehabilitation Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rehabilitation Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 6108/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SHRI JITENDRA SINGH): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 6109/15/11)

11.02 ¼ hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th December, 2011 passed, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, without any amendment, the Constitution (Ninety-Seventh Amendment) Bill, 2011, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd December, 2011.”

11.02 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT****Statement**

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): Madam, I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in Chapter-I and final replies in respect of Recommendations contained in Chapter-V of the Ninth Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2009-10) (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in First Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2009-10) on Demands for Grants, 2009-10 of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

11.02 ¾ hrs.**STANDING COMMITTEE ON ENERGY
24th and 25th Reports**

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2011-2012 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर अठारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन।
 - (2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन।
-

11.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Production, Pricing and Distribution of Molasses, pertaining to the Ministry of Chemicals and Fertilizers *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA):
Madam, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Production, pricing and distribution of Molasses', pertaining to the Ministry of Chemicals and Fertilizers.

I want to lay the Statement on the floor of the House.

* I would like to lay the statement on the implementation of the Recommendations contained in the Thirteenth Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers (2010-11) on 'Production, Pricing and Distribution of Molasses in pursuance of the directions issued by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The Standing Committee on Chemicals & Fertilizers examined the Production, Pricing and Distribution of Molasses and presented their Report to Lok Sabha/Rajya Sabha on 8.12.2010. The Report contains 6 Recommendations. The gist of the Recommendations is as follows:

- i) Expressing concern on the fluctuating trend of sugarcane production which, in turn, has affected the production of the molasses, the Committee felt that there is an urgent need to ensure the satisfactory availability of sugarcane every year. As the sugarcane production falls within the domain of the

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6110/15/11.

Ministry of Agriculture, the Committee desired that the Department of Chemicals and Petrochemicals should coordinate with the Ministry of Agriculture to chalk out ways and means for sustained growth of sugarcane production. In this regard, the Committee recommended that the Department should impress upon the Ministry of Agriculture the need for taking suitable steps to encourage sugarcane cultivators.

ii) There is need to encourage utilization of molasses for human consumption in India and coordinate with the Ministry of Food Processing Industries for taking suitable steps in the direction. The production of molasses would be augmented in such a way by the Department that besides meeting the industrial requirement, it would also cater to the needs of human consumption.

iii) Ensure enough quantity of molasses and its availability at reasonable prices for end users. Department should explore the feasibility of introducing incentive schemes for molasses producers and take suitable steps in co-ordination with the Department of Food and Public Distribution and Department of Agriculture and Co-operation and constitute a Committee, if necessary, for the purpose of ensuring adequate quantity of sugarcane and molasses required for various purposes. Government should take suitable expeditious steps to revive sick sugar industrial units which would not only ensure optimum utilization of the sugarcane but also result in increase in production of sugar, molasses and ethanol which are required in abundance not only by public but also by industrial units.

iv) The Department should chalk out proper monitoring mechanism for molasses at the earliest. The Committee further recommended that the Department should evaluate the effects of withdrawal of Molasses Control Order, 1961 on the price and distribution of molasses and revisit the feasibility of introducing some mechanism of control relevant today.

v) Excise duty on Denatured Ethyl Alcohol has been reduced from 10% to 8% but there is no corresponding reduction in the specific duty on molasses. As

the reduction of duty on molasses is bound to boost the chemical industry, Department should take up the matter at the appropriate level with the Ministry of Finance for early decision in this regard.

vi) Department of Chemicals and Petrochemicals and Ministry of Petroleum and Natural Gas should co-ordinate and chalk out a strategy regarding allocation of Ethanol to different industries. Further, for ensuring sufficient availability of ethanol for different industries, Department would take early action on the suggestions for improvement in production of molasses made by them. Government should take necessary steps to permit industrial units to produce ethanol direct from cane juice which would also boost the demand of sugarcane and in turn benefit the farmers.

The concerned Ministries/Departments have been apprised of the Standing Committee recommendations and the gist of the reply is as follows:

i) The issue of sustained growth in sugarcane production was taken up with Department of Agriculture & Cooperation in the Ministry of Agriculture. Department of Agriculture & Cooperation informed that it is evident from the trial data that there is a plenty of scope for enhancing productivity of sugarcane crop. With the existing sugarcane area (ranging from 42 to 50 lakh ha), sufficient quantity of sugarcane can be produced by increasing the level of sugarcane yield through various technologies and interventions.

ii) The Department had taken up the issue with the Ministry of Food Processing Industries requesting them to take suitable steps as per Committee recommendation and inform this Department of the action taken. Ministry of Food Processing Industries suggested that a joint action committee coordinated by Ministry of Chemicals & Fertilizers could be formed to address and discuss the issues raised in the Report pertaining to utilization of molasses for human consumption in India. The Department of Chemicals & Petrochemicals constituted the Joint Action Committee having the representatives from Ministry of Food Processing Industries, Department of Agriculture & Cooperation

(Director, Directorate of Sugarcane Development, Lucknow), Department of Food & Public Distribution (Director, National Sugar Institute, Kanpur) and representatives of this Department. The meeting of the Joint Action Committee was held on 4.5.2011. The members of the Committee felt that due to cyclic nature and growing demand and also due to new use of Ethanol for Ethanol Blending in Petrol Programme, if some molasses get diverted to newer applications, there is possibility that industrial requirement of molasses for the production of Ethanol may not be fully met. Moreover, sufficient molasses are not available to meet the demand of distilleries, it is not considered necessary to find other avenues for utilization of molasses. In the year of bumper crop, excess sugarcane can be directly converted into alcohol which can also mitigate the shortage of alcohol. In India, sugarcane molasses, which is produced as a byproduct in the process of sugar production cannot be directly used for human consumption as it contains biomass/ biochemicals and can be used for human consumption only after processing the byproduct molasses. In this context, National Sugar Institute, Kanpur suggested to take up the matter with the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Ministry of Health & Family Welfare. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) vide their letter dated 13.9.2011 informed that Food Safety and Standards Act, 2006 and its Rules/ Regulations do not permit the use of molasses as food for human consumption. FSSAI vide their letter dated 4.11.2011 have also informed that there is no standards of molasses under Food Safety and Standards Regulations, 2011. As per information received from Indian Council of Medical Research (ICMR) vide letter dated 8.12.2011, Molasses is a viscous byproduct of the processing of sugarcane, grapes or sugar beets into sugar. Molasses has bitter taste. The blackstrap molasses (obtained after third boiling of sugar) contains trace amounts of vitamins and some minerals like calcium, magnesium, potassium and iron. However, information on bioavailability is not available. Molasses could contain some levels of herbicides and insecticides used on sugar cane crops. However, no quality control screening lab tests are being performed on molasses. Since there is no PFA standards, one may not be able to assure its

quality/ safety. Joint Action Committee is in considering all the above mentioned points and the draft report is yet to be finalized.

iii) A meeting was held on 28.01.2011 with the representatives of Department of Food and Public Distribution and Department of Agriculture & Cooperation to discuss issues viz. enhancing sugarcane production, incentive scheme for producers of molasses and coordination mechanism among various agencies for ensuring adequate quantity of sugarcane and molasses required for various purposes. It was informed that the country has surplus capacity for production of sugar. However, the sugarcane production fluctuates due to its cyclic nature. Government has fixed fair and remunerative price (FRP) for sugarcane. Some State Governments are paying even higher price than the FRP. Ministry of Agriculture has also implemented Sugarcane Development Scheme under Macro Management Mode on Agriculture. The Government has also amended Sugarcane Control Order and permitted sugar factories to convert sugarcane juice directly into Ethanol. Department of Food and Public Distribution has informed that loans from Sugar Development Fund (SDF) are given for the purpose of cane development to the sugar factories. Department of Agriculture & Cooperation and Department of Food & Public Distribution are already having incentive schemes for production of sugarcane and sugar and since Molasses are not produced separately but produced as by-product by sugar mills during the production of sugar, separate incentive scheme for Molasses production is not considered necessary. Regarding coordination mechanism among various agencies for ensuring adequate quantity of sugarcane and molasses required for various purposes, as the sugarcane production is cyclic in nature and so it is difficult to assure quantity of sugarcane production. The issue of food security is also significant and the priority should be for higher production of food grains rather than sugarcane. It was, therefore, suggested that under the aegis of the Standing Committee, Planning Commission may be requested to form a Committee of concerned Ministries/Departments for proper coordination mechanism. Regarding revival of sick sugar industrial units, Department of Food and Public Distribution

has informed that as per the provisions of SDF Rules, a sick undertaking is required to get a revival package approved by the BIFR in the case of private and public sector sugar factories and by the Committee on Rehabilitation (COR) in the case of Co-operative sugar mills, with a component of SDF loan in the package. Loan is available from SDF both for cane development and rehabilitation/modernization.

iv) Regarding Control on Molasses and Review of decontrol policy, it is reiterated that the prices and distribution of molasses were regulated by the Central Government under the Molasses Control Order, 1961 up to 10th June, 1993. The allocations were made on the advice of Central Molasses Board but on a non-statutory basis. Central Govt, allocations were also not fully honoured by the State Governments. There were also reports of inordinate delays in obtaining allocations. Taking all these factors into account and with a view to falling in line with the liberalization policy of the Central Government in other sectors of economy, the Molasses Control Order, 1961 was rescinded on the 10th June, 1993. The matter was examined in detail in Department of Chemicals and Petrochemicals and it was decided that it may not be advisable to reopen the issue of reintroducing control regime by the Union Government and it may not be necessary to bring back such control in the present era of free market economy. The Department, however, took up the issue with the Excise Departments of ten major producing states and their comments in the matter were invited. Replies were received from the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The replies of the State Governments indicated that various state governments are already having some control on Molasses and it may not be possible to build consensus for bringing back central control over molasses and as mentioned above it may not be necessary to bring back such control in the present era of free market economy. Regarding the data on prices of molasses, the Department has taken up the matter with the major molasses producing State Governments and as per recently compiled information, the average price of molasses during 2009-10 was Rs. 415 per quintal.

v) Since the Excise Duty on Denatured Ethyl Alcohol has been restored at 10%, it was decided not take up the matter with Ministry of Finance.

vi) Ministry of Petroleum & Natural Gas constituted an Expert Committee on Pricing of Ethanol for EBP programme under the Chairmanship of Dr. Saumitra Chaudhuri, Member, Planning Commission. The report of the expert committee suggested a mechanism of allocation of Alcohol to different users. Regarding production of Ethanol directly from sugarcane juice, Central Government has already amended Sugarcane Control Order, 1966 in 2007 and permitted sugar factories to convert sugarcane juice directly into Ethanol.

11.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of spread of Encephalitis and Brain Fever in various part of the country in Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar

अध्यक्ष महोदया: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी।

YOGI ADITYA NATH (GORAKHPUR): Madam, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement therein:

“Situation arising out of spread of Encephalitis and Brain Fever in various parts of the country, particularly in Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar and steps taken by the Government in this regard..”


THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam Speaker, the Acute Encephalitis Syndrome (AES) including Japanese Encephalitis is a major public health challenge....
(Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): योगी जी, अगर आप हिन्दी में बोले होते तो मंत्री जी हिन्दी में जवाब देते। पूरा देश सही बात समझता कि सरकार और मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यह बहुत ही बड़ा तकनीकी नाम है और इन तकनीकी नामों का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं किस वायरस का क्या बन जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप बोलिये, आपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): इसका हिंदी नाम दिमागी बुखार या मस्तिष्क  है। इसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बहरहाल, शुरूआत अंग्रेजी से होगी तो उत्तर भी अंग्रेजी में होगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हो गये हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: शुरूआत ही अंग्रेजी में हुई है तो मैं कैसे हिंदी में जवाब दूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, आप बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: देखिये, आप इसे विवादित मत बनाइये, इसकी ट्रांसलेशन सब भाषाओं में है और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल ही तकनीकी हैं और उन क्षेत्रों में यह विशेष रूप से बीमारी है। Acute Encephalitis Syndrome is characterized by high fever, altered consciousness and convulsions mostly in children below 15 years. It is estimated that about 25 per cent of the affected children die and among those who survive, about 30 to 40 per cent suffer from physical and mental impairment. AES is a complex problem and there are various causative agents including JE and enteroviruses.

Brain Fever due to Japanese Encephalitis (JE) is caused by a virus and is transmitted through mosquitoes. The main reservoirs of the JE virus are pigs and water birds and in its natural cycle, virus is maintained in these animals. First major outbreak of JE was reported in 1973 from Bardhaman district of West Bengal. Later, most serious outbreaks were reported from eastern part of Uttar Pradesh, particularly in the districts of Gorakhpur and Basti Divisions in 1978. AES has now been reported from 171 districts in 19 states. During 2011, 7,813 AES cases and 1,133 deaths have been reported in the country till 27th December. The major States affected by AES are Uttar Pradesh which reported 3,474 cases and 575 deaths; followed by Assam with 1,391 cases and 250 deaths; West Bengal with 714 cases and 40 deaths; and Bihar with 821 cases and 197 deaths.

Presently, there is a vaccine only for prevention of Japanese Encephalitis. For the rest of the AES cases, there is no vaccine for prevention. JE vaccination has been introduced by Government of India in a phased manner in the affected districts since 2006. Prevalence of JE has been declining. For example, in Uttar Pradesh, the JE positivity rate in AES cases has declined from 36 per cent in 2005 to 6.4 per cent in 2011.

Another key cause of AES is entero-viruses which are transmitted primarily through use of unsafe drinking water. I personally visited Gorakhpur recently and had discussions with experts, officials and local people and it was evident to me that AES is not only a medical problem but a much broader and complex development issue and linked with various social determinants of Health including safe drinking water, basic sanitation, personal hygiene and nutrition. To effectively combat the problem, it is, therefore, essential to evolve a multi-pronged strategy encompassing prevention, case management and rehabilitation measures.

This strategy can be successfully implemented only with the active engagement of various Ministries like Ministries of Drinking Water & Sanitation, Social Justice & Empowerment, Rural Development, Urban Development, Women & Child Development and the active cooperation and involvement of the State Governments. Appreciating this fact, hon. Prime Minister has constituted a Group of Ministers on 4th November, 2011, to develop a comprehensive multi-sectoral strategy. Three meetings of the Group of Ministers have already taken place on 21st November, 2011, 25th November, 2011 and 9th December, 2011.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : अभी योगी आदित्यनाथ जी की बारी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदया : अभी उनकी बारी है।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार की तरह ही यहां पर एक लिखित वक्तव्य, जो मंत्रालय के अधिकारियों ने दिया होगा, वही पढ़कर सुना दिया है और यह लिखित वक्तव्य मैं पिछले 13 वर्षों से इस सदन में सुन रहा हूँ।

महोदया, इनसिफलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार है, यह इस देश में 1956 में पहली बार आया था और 1978 में पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसके मामले देखने को मिले थे। वर्ष 1998 से लेकर अब तक लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं है, जो मैंने इस सदन का और सरकार का ध्यान किसी न किसी नियम के तहत इस मामले की ओर आकर्षित न किया हो। लेकिन मुझे अत्यंत खेद के साथ

कहना पड़ रहा है कि पिछले 33 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों की लगातार हो रही मौतें आखिर क्या प्रदर्शित करती हैं। क्या स्वस्थ जीवन जीने की आजादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को नहीं है? साल दर साल वहां हो रही मासूम बच्चों की मौतें क्या प्रदेश और केन्द्र सरकारों की उपेक्षा को प्रदर्शित नहीं करती है? जो गैर सरकारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार पिछले 33 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों में एक लाख से अधिक मौतें हुई हैं और इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रोग से अक्षम हुए हैं।

महोदया, पिछले वर्ष भी मैंने 31 अगस्त को एक कालिंग अटैन्शन के माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और माननीय आडवाणी जी ने भी उस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सरकार से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन अत्यंत दुखद है कि जो आश्वासन 31 अगस्त, 2010 को इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने दिये थे, उन पर आज तक अमल नहीं हो पाया। पिछले वर्ष इसी मंत्रालय ने मुझे जो पत्र भेजा था, यदि उसके अनुसार मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो वर्ष 2005 में दिमागी बुखार के 6061 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 1500 की मौतें हुईं। वर्ष 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 528 की मौतें हुईं। वर्ष 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 995 की मौतें हुईं। वर्ष 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुईं, जिनमें से 684 की मौतें हुईं। वर्ष 2009 में 784 बच्चों की मौत हुई और मेरे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के अकेले बी.आर.डी. मैडिकल के आंकड़े हैं, जिनके अनुसार वर्ष 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए, जिनमें 514 की मौतें हुईं तथा इस वर्ष अब तक 3275 मरीज भर्ती हो चुके हैं और कल तक 624 बच्चों की मौतें अकेले बी.आर.डी. मैडिकल कालेज में हुई है। मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। मैं सात जिलों का आंकड़ा बता रहा हूँ कि कल तक 625 मौतें अकेले बीआरडी मैडिकल कॉलेज, गोरखपुर में हुई हैं। ये मौतें तब हो रही हैं जब कि पिछले 13 वर्षों से मैं लगातार इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं इस बीमारी के बारे में लगातार आवाज उठाता रहा हूँ और सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। इसे महामारी घोषित किया जाए और इसके उन्मूलन के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाए। महोदय, मेरे द्वारा इस बात को सदन में उठाने के बाद एनडीए सरकार में कुछ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और उसका परिणाम था कि सन् 2004-05 के बाद वहाँ पर वैक्सिनेशन प्रारंभ हुए। वैक्सिनेशन के परिणाम सामने आए और जेई के केसेज़ कम हुए हैं। वह आज 36 प्रतिशत से घट कर 6 प्रतिशत पर आ गया है। लेकिन जहां जेई से होने वाली मौतें कम हुई हैं वहीं एंट्रोवायरस से होने वाली मौतें लगातार बढ़ी हैं। हम लोग इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं कि वह जेई है, वीई है या एईएस है। तीन बार लगने वाले टीकों को सरकार ने सिर्फ एक-दो बार लगाकर छोड़ दिया है। टीकारण भी मई-जून में किया गया। इस बार तो देखा जा रहा है कि इस बीमारी से पूरे साल भर मौतें

हो रही हैं। अक्सर हम लोग देखते थे कि 15 नवंबर के बाद मौतें नहीं होती थीं लेकिन आज भी लगातार वहां मौतें हो रही हैं। लगातार तीन-चार, तीन-चार मौतें हो रही हैं। इससे पहले जब जेई के केसेज़ ज्यादा होते थे तो 15 नवंबर के बाद मौतें होनी बंद हो जाती थीं और इन्सेफेलाइटिस के मरीज आने बंद हो जाते थे। जो टीकाकरण फरवरी-मार्च में होने थे, राज्य सरकार ने उन टीकाकरणों को मई-जून में कराया। बीमारी के केसेज़ 15 जून के बाद से, जुलाई प्रारंभ होने के बाद से, बरसात होने के बाद आने प्रारंभ होते हैं। टीकों को एक्टिवेट होने में तीन से चार महीनों का समय होता है। लेकिन टीकाकरण भी ईमानदारी से नहीं कराए गए हैं। जिन टीकों को तीन बार कराया जाना चाहिए था, उसको एक बार करा कर सरकार ने अपनी इतिश्री कर दी। टीके की निर्माता कंपनी स्वयं कहती है, उसके रेपर में भी लिखा गया है कि इसको कम से दो या तीन बार लगाया जाना चाहिए। क्या सरकार का यह रवैया है कि एक बार टीकाकरण करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाना नहीं है ? क्या वह इस महामारी से मुंह मोड़ने जैसा नहीं है? क्या सरकार इस बीमारी का उपचार मात्र ही चाहती है? क्या बचाव और उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता में नहीं होगा? 33 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आज तक यह पता नहीं लगा पाई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम किस वायरस का शिकार हो रहा है? वह जेई है, वीई है या एईएस है। अगर सरकार के पास ठोस और दीर्घकालीन राष्ट्रीय इन्सेफेलाइटिस कार्यक्रम होता तो संभवतः यह बीमारी हम सब के सम्मुख ऐसा भयावह दृश्य प्रस्तुत नहीं करती। यह सच है कि यह बीमारी तमिलनाडु में सन् 1956 में आई उसके उपरांत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हुए सन् 1978 में इसने पहली बार इसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैर फैलाए थे। अगर महामारी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोका गया होता तो आज उत्तर प्रदेश के 35 जिले इससे प्रभावित नहीं होते। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश के 19 राज्य और 171 जिले इससे प्रभावित हैं, लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 26 राज्य इस बीमारी से कम या ज्यादा रूप में प्रभावित हैं। लगातार यह बीमारी मासूम बच्चों को निगलती जा रही है। मुझे बीआरडी मैडिकल कॉलेज में जाने का अक्सर अवसर मिलता है, उन मासूम बच्चों को देखने के लिए और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का हाल-चाल जानने के लिए अवसर मिलता है। जब मैं बीआरडी मैडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो मैंने देखा है कि इस बार भी और पिछली बार भी वहां पर दवा के अभाव बच्चे में मरे हैं।

महोदय, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें अपनी प्राथमिकताएं गिनाती हैं कि हम गरीबों और किसानों के लिए लड़ेंगे और दलितों की बात करेंगे लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीमारी से मरने वाले 99 प्रतिशत बच्चे दलित, गरीब और किसान परिवार के हैं। यह सरकार उन दलितों के बच्चों को, उन गरीबों और किसानों के बच्चों को मरने से नहीं रोक पायी है। यह इस सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है, प्रदेश सरकार के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है कि

एक तरफ इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का जो अन्तिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वह दवा के अभाव में मर रहा है, लगातार दम तोड़ रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री वहां गये थे, हमें सूचना नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री को तो वहां जाने की भी फुरसत नहीं हुई। मुख्यमंत्री की बात तो दूर, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा।

महोदया, दवा के अभाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश में घोटाला होता है, लेकिन एनआरएचएम के दवा का अगर एक पार्ट उस बीमारी के उपचार के लिए वहां के सीएससी, वहां के पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जीर्णोद्धार और उनके पुनरुद्धार के लिए खर्च किया गया होता, तो दवा के अभाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम नहीं मरता, लेकिन लगातार मौतें होती जा रही हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

*(Interruptions) ...**

योगी आदित्यनाथ : महोदया, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दवा के अभाव में लगातार दम तोड़ रहा है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये का दवा का घोटाला, एनआरएचएम का दवा का घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह पूरी सरकारों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है।

महोदया, इसीलिए मुझे सरकार की नीति और उसकी नियति पर भी हंसी आती है। माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 में एक रिट दाखिल हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को आदेशित किया था कि इंसेफेलाइटिस के पूर्ण उन्मूलन के लिए, इसके बचाव और उन्मूलन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को गोरखपुर में स्थापित किया जाये। लेकिन इस सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को एसजीपीजीआई लखनऊ में स्थापित किया। सरकार का यह कृत्य ऐसा ही है, जैसे सरकार कुआं तब खोदती है, जब प्यास से लोग मरने लगते हैं और वह भी वहां नहीं जहां प्यास से लोग मर रहे हैं। जब इंसेफेलाइटिस के मरीजों के 75 से 80 प्रतिशत केसेज गोरखपुर और उससे सटे हुए पांच-सात जिलों में हैं, बिहार और नेपाल से सटे हुए जिलों में हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. को लखनऊ में खोलने का औचित्य क्या था। जिन सात बिन्दुओं पर इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए कार्य होना था, वह किसी भी स्थिति में लखनऊ में संभव नहीं, क्योंकि 75 से 80 प्रतिशत रोगी तो गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों से हैं। नेपाल और बिहार से हैं। गोरखपुर में जो वायरल रिसर्च सेंटर एनडीए सरकार की पहल के बाद वर्ष 2007 में स्थापित हो पाया, वह भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहा

* Not recorded.

है। वह यह बताने में अभी भी सक्षम नहीं है कि वह कौन सा वायरस है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम असमय काल के गाल में समा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 27 सितम्बर 2007 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक शोध केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया जाये। जिसे केंद्र तथा प्रदेश सरकारें नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती रहें। प्रदेश और केंद्र सरकार सीधे-सीधे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही हैं। आज दोनों सरकारों की उपेक्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस की महामारी से वहां का आम मासूम त्रस्त है, लेकिन सरकार आज भी जे.ई. वायरल इंसेफेलाइटिस या एईएस के भंवरजाल में फंसी है। मौत के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

महोदया, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के मामले में सरकार ने अत्यंत सतर्कता बरती थी। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने समाचार पत्रों में, टी.वी.चैनल्स में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी घातक महामारी के लिए जन-जागरण अभियान क्यों नहीं? जबकि अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को देखें तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू से मृत्यु दर मात्र 2 प्रतिशत है और इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है। एनसिफेलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हुए हज़ारों मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत रीहैबिलिटेशन सैन्टर, जिनकी घोषणा 2009 में इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने मेरे कॉलिंग अटेंशन के जवाब में की थी, अब तक वह बीआरडी मैडिकल कालेज गोरखपुर में शुरू नहीं हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया था कि एनसिफेलाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन के लिए भारत सरकार पूरी मदद करेगी और बीआरडी मैडिकल कॉलेज में रीहैबिलिटेशन सैन्टर स्थापित करेगी। संसद में दिया गया सरकार का जो आश्वासन है, वह केवल आश्वासन मात्र बनकर रह गया है। हम लोग जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वक्तव्य रखते हैं, एक विश्वास के साथ रखते हैं कि कम से कम सदन में रखे गये वक्तव्य में सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह के अमल और कार्यवाही करेगी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र से जो टीमें जाती हैं, उनके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम एक गिनी पिग्ज़ बन गया है, प्रयोगशाला बन गया है। उनके लिए वहाँ के बच्चे प्रयोग करने के नये माध्यम बन गए हैं। कब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक उनके साथ यह प्रयोग होता रहेगा? 33 वर्षों से वहाँ लोग लगातार मर रहे हैं।

महोदया, पूर्वी उत्तर की पाँच करोड़ आबादी के बीच में अकेला बीआरडी मैडिकल कॉलेज एकमात्र सरकारी मैडिकल कॉलेज है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पाँच करोड़ की इस आबादी के बीच में क्या बीआरडी मैडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए, उसको एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? वह तराई का क्षेत्र है, वहाँ पर तमाम इस प्रकार की विषाणुजनित

बीमारियों से बच्चे ग्रस्त हैं। पूरी दुनिया में आपको कहीं पोलियो नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोलियो है, घेंघा है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, काला जार है। वहाँ पर तमाम तरह की विषाणुजनित बीमारियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा सैन्टर नहीं है जहाँ लोग उपचार करा सकें और अकेले पाँच करोड़ की आबादी के बीच में बीआरडी मैडिकल कॉलेज एकमात्र मैडिकल कॉलेज है। अगर एम्स की तर्ज पर एक केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान देश के अन्य भागों में खुल सकते हैं तो पाँच करोड़ की आबादी के बीच में गोरखपुर में क्यों नहीं खुल सकता? क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी? क्या यह सरकार के लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा मात्र है। वहाँ के मासूम बच्चों को क्या भारत सरकार अपने गणराज्य के अधीन नहीं समझती है कि उनको मरते हुए देखना चाहती है? लगातार मौत पर मौत होती जा रही है। हम लोग लगातार वहाँ के आंदोलन को झेल रहे हैं और सरकार मौन बैठी हुई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि सरकार एम्स की तर्ज पर बीआरडी मैडिकल कॉलेज को विकसित करने के लिए कोई घोषणा करेगी।

मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो महामारी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में है, अगर माननीय मंत्री जी के ही वक्तव्यों को मैं मानूँ तो देश के 171 जिले, उत्तर प्रदेश के 35 जिले और देश के 19 राज्यों में जो बीमारी कहर बरपा रही है, इसे मात्र राज्य का विषय आपने कैसे मान लिया? आप गोरखपुर गए थे और आपने गोरखपुर में कहा था कि यह राज्य का विषय है। मासूम मर रहे हैं और आप कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। जो बीमारी देश के 19 राज्यों में है, आप उसे राज्य का विषय कैसे मान रहे हैं? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एनसिफलाइटिस उन्मूलन के लिए किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेगी?

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर में स्थापित वायरल रिसर्च सैन्टर को उच्चिकृत करके वायरस की पहचान के लिए सही कारक का पता लगाने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिए क्या किसी कार्य योजना की घोषणा सरकार करेगी?

महोदया, इस बार वहाँ पर दवा के अभाव में मासूम मरे हैं। वहाँ कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो एनसिफलाइटिस के लिए मुफ्त में उपचार की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी वहाँ बच्चों को कोई दवा नहीं मिली। वहाँ मासूम और गरीब बच्चे मरते रहे। एक ओर हज़ारों करोड़ रुपये का एनआरएचएम का घोटाला और दूसरी तरफ दवा के अभाव में मासूम मर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो एनआरएचएम की राशि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई है, उसका एक हिस्सा क्या एनसिफलाइटिस के उपचार एवं उन्मूलन पर सरकार खर्च करेगी?

सैंटर ऑफ एक्सेलैन्स फॉर जैपनीज़ एनसिफलाइटिस गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? एनसिफलाइटिस से बचाव और रोकथाम के लिए व्यापक जागरण अभियान स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की तर्ज पर विज्ञापन, गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जो लोगों को बचाव के उपाय सिखा सकें, आखिर यह जीओएम कब तक गठित करेंगे? सरकार को अगर किसी काम को नहीं करना होता है तो सरकार उसके लिए कोई कमेटी गठित कर देती है। उसे जी.ओ.एम. के नाम पर लटकाती रहती है। आज वहां मासूम मर रहे हैं, आप जी.ओ.एम. की बैठक दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में करके क्या करेंगे? आखिर सरकार घोषणा क्यों नहीं करती है? यह सच है कि तमाम मंत्रालयों को मिल कर एक साथ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। उस बीमारी को आज तक केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा जा सकता। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन में वहां पर स्वच्छ पेयजल के लिए व अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए जी.ओ.एम. की बैठक अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं ले पायी है? आप तो वहां अक्टूबर में गए थे। अक्टूबर से दिसम्बर तक सरकार निर्णय नहीं ले पायी है। क्या यह सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित नहीं करता है? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्सेफलाइटिस से बचाव एवं रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरण की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है?

(7) इन्सेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एवं कीटनाशकों के छिड़काव के संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

(8) इन्सेफलाइटिस से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हुए मासूम बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, काफी लम्बे समय से चर्चा के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था। आज बहुत खुशी की बात है कि इस गंभीर मामले पर चर्चा इस सत्र के आखिरी दिन हो रही है। माननीय सदस्य योगी जी ने कई बार इस सदन में इस बीमारी के बारे में मामला उठाया और उन्होंने काफी चिंता जाहिर की, लेकिन सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया, वह बहुत निराशाजनक है। वर्ष 1973 से हमारे देश में यह बीमारी आयी और 4 नवंबर, 2011 को मंत्रिमंडल बैठे। 38 सालों में नवंबर और दिसंबर में चार बैठकें हुईं। लेकिन इन 38 सालों में सरकार को कोई चिंता नहीं हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के कारण इलाज़ के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। बच्चों की मौत के जवाब में जो कारण बताया गया है वह है पेयजल, स्वच्छता और कुपोषण। हम लगातार नारा दे रहे हैं " हो रहा भारत निर्माण"। हम भारत निर्माण की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम पीने के लिए स्वच्छ पानी, और स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। यह बीमारी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं।

पहले तो यह पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ हुआ, आज यह पूरे देश में फैल रहा है। अब यह झारखण्ड से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका जसपुर और रायगढ़ में भी फैल गया है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले हमारे देश में बीमारियों का इलाज़ आयुर्वेद के माध्यम से होता था। नाड़ी वैद्य आते थे, वे नाड़ी छूकर बताते थे कि किसको क्या बीमारी है। नाड़ी वैद्य इलाज़ करता था। लेकिन आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। अब मरीज अपनी बीमारी बताता है तब डॉक्टर इलाज़ करता है। यह जो फर्क हो रहा है, हमारे इलाज़ में जो कमी हो रही है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि सारी बीमारी की जड़ मच्छर है। सिर्फ मस्तिष्क का बुखार नहीं, मच्छर से कई बीमारियां फैलती हैं। चाहे वह हाथीपांव की बीमारी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कई बीमारियां सिर्फ मच्छर के कारण हो रही हैं। हम मच्छर के उन्मूलन के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): 40 सालों से सरकार में ये लोग मच्छर नहीं मार पाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस हो गया। यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Ramesh Bais says.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : श्री रमेश बैस जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बैस : मैं मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसको राज्य का मामला न मानते हुए इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर जिस-जिस प्रदेश में यह बीमारी फैल रही है, वहां इसे तुरन्त रोकने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदया : बस हो गया। यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जिस आलोच्य विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइये। शान्त होइये।

डॉ. भोला सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जिस आलोच्य विषय दिमागी बुखार पर सदन विमर्श कर रहा है और जिस तरह का बयान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, वह विडम्बना से भरा हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही

* Not recorded.

है। आप स्वयं साहित्य में अभिरुचि रखती हैं। प्रेमचन्द जी ने कफन नामक उपन्यास में जिस तरह से बुधिया का चित्र खींचा है और जिस तरह से गोबर ने और उसके बेटे और उसके पति ने काम किया है, बुधिया गर्भवती है, दर्द से छटपटा रही है, उसका पति घूरे में आलू पका रहा है, घूरे के बगल में बेटा भी बैठा है, पति भी बैठा है और बुधिया दर्द से चिल्ला रही है, पति देखने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि, अगर वह जायेगा तो उसके आलू उसका बेटा खा जायेगा और बेटा मां को देखने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वह जायेगा तो इस आलू को उसका बाप खा जायेगा। यह पीड़ा आज भी यह देश भोग रहा है।

गरीब बिहार में एक नायाब मुख्यमंत्री हुए थे। उनके जमाने में भी यह घटना हुई कि दिमागी बुखार ने पूरे राज्य को ग्रसित कर लिया था। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी का पता नहीं चल रहा है। किसी ने कहा कि साहब, सूअर के चलते यह बीमारी फैल रही है। उस नायाब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि तमाम सूअर पकड़ लिए जायें और थाने में बन्द कर दिये जायें। 18 डी.एस.पी. उस काम को करने के लिए बहाल हुए और तमाम सूअर थाने में बन्द कर दिये गये और अपराधी थाने से, कस्टडी से निकाल दिये गये। वे मार दिये गये, नतीजा हुआ, सूअर से बीमारी फैलती है तो गरीबों की जीविका मार दी गई। एक तरफ बीमारी में वही मरे, आग लगे तो वही मरे, गोली चले तो वही मरे, भूख लगे तो वही मरे, यह क्या है, मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ?

क्या बोलते हुए नहीं सोचना चाहिए, लोकतंत्र लोक-लाज का तंत्र है। अगर लोकतंत्र में लोक-लाज नहीं है और अगर कोई शानदार कपड़ा भी पहनता है तो वह नंगा है। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में इस लोक-लाज को सरकार ने उतार फेंका है और वे कह रहे हैं कि 30-35 वर्षों से यह बीमारी चल रही है और वे कह रहे हैं कि दवा का पता नहीं चल सका है, दवा हम तैयार नहीं कर पाये हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सरकार किसकी सरकार है, क्या करना चाहती है? बिहार में इधर हाल में मुजफ्फरपुर में, गया में, सीतामढ़ी में, बिहारशरीफ में, नवादा में, सासाराम में, फगुहा में, इन सारे जिलों में बड़े पैमाने पर दिमागी बुखार से गरीबों के बच्चे परेशान हैं, मर रहे हैं और उनकी लाशें फेंकी जा रही हैं और केन्द्र का मंत्री कहता है, बीमारी का कोई इलाज अभी तक तय नहीं हुआ है, दवा तय नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इस देश में श्री माधवराव सिंधिया जैसा मंत्री हुआ होता, अगर इस देश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हुए होते, इस परिस्थिति में उन्हें रिजाइन करना पड़ता, वे रिजाइन कर देते। इस देश में डॉ. लोहिया ने एक बार कहा था कि क्या गरीब कीड़े और मकोड़े हैं कि जब चाहो उनको गोली से मार दो, जब चाहो बीमारी में मरने दो, जब चाहे आग लगे, उसमें वे जलें, झुलसैं? मैं यह जानना चाहता हूँ। यह लोक सभा जनता की इबादत है, उनकी पीड़ा की इबादत है।



अध्यक्षा जी, विवेकानंद ने कहा कि मेरा भगवान वह है, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में आपने ही बिहारशरीफ नालंदा में जाकर एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वहां मुख्यमंत्री गए थे, आप भी गए थे और उसके माध्यम से लोगों का इलाज चल रहा था। क्या कारण है, जिसका दीप आपने जलाया, जिन हाथों ने दीप जलाए, बीमारी के अंधेरे को दूर करने के लिए, उन हाथों ने इस दीप को क्यों बुझा दिया? आप इस सदन को क्या कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त करिए।

डॉ. भोला सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन गठित स्वायत्तशासी निकाय जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन के द्वारा नालंदा में चार स्थानों पर आई विजन सेंटर की स्थापना हुयी थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

डॉ. भोला सिंह : आपके हाथों हुयी थी, बिहार के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। आपने उसे क्यों बंद कर दिया। क्या यह आपकी अक्षमता थी, आप चला नहीं सकते थे, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए क्या पॉलिसी बनायी है? आपने क्या अच्छा कहा, साहब, यह बीमारी गरीबी के कारण हो रही है, यह बीमारी सुरक्षित पेयजल के अभाव में हो रही है। यह बीमारी कुपोषण से हो रही है। आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार इस मामले में फेल हुयी है। आदरणीय आदित्य नाथ जी ने सरकार से जो प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहता हूँ कि यह न केवल उत्तर प्रदेश का मामला है, न पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला है, संपूर्ण भारत का जो जीवन है, जो जीवन-पद्धति है, जो सामाजिक स्थिति है, वह परिस्थिति है, इसलिए इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाए और संपूर्ण देश के आधार पर एक नीति तैयार करके इसके लिए व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष जी, हो सके तो आप एक बैठक बुलायें, माननीय मंत्री को भी उसमें बुलायें, विरोधी दल के नेताओं को भी बुलायें और बैठकर इस गंभीर स्थिति पर विचार-विमर्श करके, उसकी रोशनी में तत्काल कदम उठाए जाएं।


मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से अपनी बात को सदन में रखना चाहता हूँ।

* Not recorded.

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

देश में बच्चे, नवजात बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक दिमागी बुखार रोग से पीड़ित हो रहे हैं। नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है। महिलाएं गंभीर रोग से पीड़ित हो रही हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा लोग दिमागी बुखार रोग से पीड़ित हैं और इस वायरस के शिकार हैं।

महोदया, अगर दिमागी बुखार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बीमारी जिस तरह से फैल रही है, यह पूरे देश में फैल जाएगी, जो चिंता का विषय है। इस दिमागी बुखार वायरस से संक्रमित होने पर इस बीमारी के लक्षण पांच से दस दिन में दिखायी देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इस दिमागी बुखार को नियंत्रित किया जाना, जनहित और देशहित में अति आवश्यक है। समुचित उपचार तक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ देश में बढ़ रहे दिमागी बुखार जैसी भयानक बीमारी का खतरा चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था का अभाव है। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाओं की कमी है। सरकारी डाक्टरों जो सरकारी सेवा में हैं वे निजी क्लिनिक चला रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर मनमाना रूपसे वसूल किए जा रहे हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। इस का सबसे ज्यादा असर गरीब आम जनता पर ही होता है क्योंकि गरीब आदमी का सहारा केवल सरकारी अस्पताल ही होता है। जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे अपना और अपने परिवार का इलाज निजी अस्पतालों में करा सकें।

माननीय मंत्री जी से  आग्रह करता हूँ कि इस भयानक बुखार को रोकने हेतु समुचित आवश्यक कदम उठाए जाएं और सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर की जाए। सरकारी अस्पतालों में इनकी बहाली की जाए। ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में दवाओं की पूरी आपूर्ति की जाए। अस्पताल के अंदर और बाहर सफाई की जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं खासकर इस बात के लिए आभारी हूँ कि आज अंतिम दिन इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को इस सदन और सरकार के संज्ञान में लाने का अवसर प्रदान किया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी आज भी गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा यह सरकार मुहैया नहीं करा पाई है। (व्यवधान) अध्यक्ष जी मंत्री यहां नहीं हैं। ... (व्यवधान) मंत्री जी उधर अधिकारियों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। मंत्री जी वहां पर है। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। **Do not make issue out of nothing.**

शैलेन्द्र कुमार : जहां तक आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में बनी जिसमें आपने नब्बे हजार पांच सौ पचपन करोड़ रुपये का प्रावधान किया लेकिन गांवों में आज तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पाया। अध्यक्ष जी मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धति जो हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली रही हैं उन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके जो भी सरकारी अस्पताल हैं वे बंद होने के कगार पर हैं। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। इंडियन मेडिकल सोसायटी की सर्वे के अनुसार पचहत्तर परसेंट डाक्टर शहरों में काम करते हैं, तेईस परसेंट अल्प शहरी इलाकों में काम करते हैं और केवल दो परसेंट ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं। यह स्थिति है। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में झोला झाप डाक्टरों की भरमार है उनकी वजह से भी काफी मौतें हो रही हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे देश में आपने तीन सौ मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिनमें से आपने 105 मेडिकल कॉलेज पांच राज्यों में खोल दिया है - कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश। बिहार में जहां आठ से दस करोड़ की आबादी है वहां पर केवल नौ मेडिकल कॉलेज खोले हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की बात कही। स्वर्गीय मोती लाल नेहरू जी के नाम से वह मेडिकल कॉलेज है। उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने भी आप को इस बारे में इंगित किया होगा, कहा होगा कि उच्चिकृत किया जाए। वहां पर हार्ट, लिवर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस पर विशेष ध्यान दें। माननीय मंत्री आर पी एन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस के बारे में मुझे याद दिलाया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय 34 हजार की आबादी पर केवल एक डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं। कैसी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है? योजना की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में आठ लाख डाक्टर्स

और 20 लाख नर्सैज की आवश्यकता है। लेकिन हम अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि आपके आंकड़े भी बताते हैं कि 60 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र का दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर होता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को पानी पर खर्च होने वाले बजट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें से काफी पैसा बेकार चला जाता है। वह पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र में जाए तो बहुत कारगर सिद्ध होगा।

देश में स्वास्थ्य का 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र के हाथ में है और केवल 20 प्रतिशत सरकारी निगरानी में है। उस 20 प्रतिशत में भी 80 प्रतिशत राज्य सरकारों के अधीन है। यह भी अक्सर सुना जाता है कि राज्य केन्द्र पर जिम्मेदारी थोप देते हैं, जैसे बीएसपी के माननीय सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र इस मामले में कुछ मदद नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ केन्द्र कहता है कि राज्य कुछ नहीं करते। इस तरह इन दोनों के बीच में गरीब आदमी, मस्तिष्क ज्वार से पीड़ित लोग मर रहे हैं। बच्चों के मरने की जो संख्या आपने बताई, मैं कहना चाहता हूँ कि वह आंकड़ा फर्जी है। हजारों की संख्या में बच्चे इस बीमारी से मरे हैं।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बात का संज्ञान लिया और आरपीएन सिंह जी के साथ गोरखपुर का दौरा किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार इस मामले को यहां उठाया है। मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनकी मांग के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ। उन्होंने जो मांग की है वह अवश्य पूरी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसी गम्भीर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। विगत दस वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो 22 तरह की नए बुखारों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक हमारी मेडिकल एजेंसी या वैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाए कि यह कैसा बुखार है। अभी भोला सिंह जी ने कहा था कि पक्षियों से, सुअरों से और गंदगी से तथा दूषित पानी से ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। हम अभी तक इसके निदान के लिए कोई वैक्सीन ईजाद नहीं कर पाए हैं। इस सम्बन्ध में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं किया और न ही किसी देस से इस बारे में चर्चा की कि इस प्रकार की बीमारियों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपस में विचार-विमर्श मत करें। इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, उसे सुनिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अक्टूबर 2011 की दिल्ली की रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़ें हैं कि 20000 से लेकर 25000 मरीज तक भर्ती रहे। इसके अलावा चार लाख मरीज मस्तिष्क ज्वार के रहे हैं। जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मौसमी बुखार हैं। अकेले दिल्ली में 5000 मामले डेंगू के आए हैं। यह उस वक्त का रिकार्ड मैं बता रहा हूँ। चिकनगुनिया के तो बहुत कम मामले इसमें दर्शाए हैं। ये बीमारियां, जगह-जगह पानी एकत्र होने से, मौसम की नमी और खास तौर से साफ सफाई के अभाव में पैदा होती हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए बोल लेने दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूँ।

अध्यक्ष महोदया: इतना लम्बा थोड़ा ही बोलते हैं। इसमें सिर्फ सवाल पूछते हैं स्पष्टीकरण के लिए। लेकिन आपने तो बहुत लम्बी भूमिका बांध दी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, जल्दी से सवाल पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जहां तक बुखार में जो पैरासिटामोल की दवा आप दे रहे हैं, पहले बुखार के निदान के लिए दवाओं में पैरासिटामोल दी जाती थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शोर न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : पता नहीं कैसे उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई कि पैरासिटामोल किसी भी बुखार में कारगर नहीं हुई और उसका कोई असर नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2 नवम्बर को इसे संज्ञान में लिया और सरकार को निर्देशित किया। लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए. मेरे क्षेत्र में एक शैल कुमारी, 14 साल की लड़की हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी थी, उसकी मौत डेंगू से हुई। जब हम लोग वहां गए तो उसकी मौत पर पूरा कस्बा बंद था। इलाहाबाद में 29.9.2011 की जो सरकारी रिपोर्ट है, उसके अनुसार एंसेफेलाइटिस से पीड़ित 25 मौत बताई गई, जबकि वहां पर हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं। आज तक उस इलाके में बच्चों की हजारों की संख्या में मौत हुई है। वहां पूरे इलाके में गंदगी का व्यापक अम्बार है, फॉगिंग मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छरों से बचाव के लिए कोई कारगर कदम सरकार ने नहीं उठाया है और न ही उनसे निजात दिला पाई है।

मुझे याद आता है कि जब राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों की कमी है। मैं चाहूंगा कि जो जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्त पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी ने नियुक्ति की थी, उन्हें बहाल करें, तब ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर पाएगी। यहां पर 55 प्रतिशत बच्चों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है और उनके टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण करीब 9 लाख नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाते हैं। देश में बैक्टेरिया जनित और संक्रामक रोग 40 गुना बढ़ गये हैं लेकिन उनके निदान की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो रिकार्ड दिये गये हैं मैं



उन्हें पढ़कर नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी जल्दी प्रश्न पूछने का आग्रह कर रही हैं। मुझे डा. राम मनोहर लोहिया जी का एक नारा याद आता है और अगर उसे किसी ने उत्तर प्रदेश में चरितार्थ किया है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। उन्होंने नारा दिया था कि “रोटी-कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त ही हो।” दवा के मामले में जो भी गरीब आदमी चाहे 10 लाख तक का इलाज रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी उचित व्यवस्था की थी। आज जरूरत इस बात की है कि डा. राममनोहर लोहिया जी ने जो नारा दिया था, उसे केन्द्र सरकार लागू करे, तभी गरीब उसका लाभ उठा सकते हैं। आपने जो आंकड़े दिये हैं कि उत्तर प्रदेश में 3474 मामलों में 575 लोगों की मौत हुई। माननीय मंत्री जी ये फर्जी आंकड़े हैं। असम में आपने 1391 मामले बताए जिनमें 250 लोगों की मृत्यु हुई, बंगाल में 414 मामलों में 40 मौतें, बिहार में 821 मामलों में 197 लोगों की मौत हुई। ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आप अपने नुमाइंदे भेजकर जांच करवा लीजिए। इंजेक्शन आप तब मुहैया करवाते हैं जब मरीज मर जाता है, बीमारी फैल जाती है। हमें पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी, भोला सिंह जी और बैस जी और हमने जो मामले उठाए हैं, उन्हें आप गंभीरता से लें। मैं जानता हूँ कि मैं स्वास्थ्य सलाहकार समिति में भी हूँ और आप इस बारे में बहुत चिंतित हैं, आप व्यवस्था कर रहे हैं। आपने इन सभी रोगों को कैटेगरीज किया है लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इसलिए जो दिमागी बुखार से बच्चे मरे हैं, बूढ़े लोग मरे हैं उनके मुआवजे की व्यवस्था कीजिए और चाहे आपको विदेश से भी दवाइयां मंगानी पड़ें लेकिन आप रोग फैलने से पहले उसका इलाज करवाइये। लेकिन होता यह है कि जब रोग फैलता है तब सरकार उसका संज्ञान लेती है, तब तक हजारों की संख्या में मौतें हो जाती हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों शोर मचाने लगे हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not shout like this. Why are you shouting?

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग खड़े क्यों हो गये, ऐसे कैसे होगा, नाम भेजने से थोड़े ही होगा। ध्यानाकर्षण चल रहा है, पहले से नोटिस देना होता है, बैलेट में आता है, ऐसे कैसे हो जाएगा?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ... **

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*... (Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: I mean, you cannot just stand up and start speaking. You have to give a notice, and I have to permit you to speak.

... (Interruptions)


अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। ऐसा है कि ध्यानाकर्षण में अधिक से अधिक पांच सदस्य बोलते हैं। क्योंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है और आप जैसा कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

12.00 hrs.

इसलिए बहुत ही विशेष परिस्थिति में मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूँ और आपके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, इस पर हम भी बोलेंगे।  (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका कोई नोटिस नहीं है। आप दोनों का कोई नोटिस नहीं है। आप बैठिये और उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you shouting?

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ... **

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप क्यों खड़े हैं? आप लोग क्यों खड़े हो गये। कृपया बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। कृपया बैठिये। आप क्यों खड़े हैं। कृपया बैठिये। ठीक है, आप खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? There is no notice.

श्री जगदम्बिका पाल : हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : हां, आप बोलिये। चूंकि इनका नोटिस आया है, इसलिए हम इन्हें विशेष परिस्थिति में बुलवा रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप ऐसे खड़े होकर डिमांड नहीं कर सकते, आप बैठ जाइये और माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं जो आपने विशेष परिस्थितियों में मुझे बोलने का मौका दिया और जैसा आपने कहा कि इस संबंध में मैंने सात दिसम्बर से नोटिस भी दे रखा था, लेकिन आलरेडी पांच व्यक्तियों के होते हुए आपने मुझे बोलने का अनुमति दी, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि यह विषय जितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और उस पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी या अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं अपने आपको केवल उनकी भावनाओं से सम्बद्ध करना चाहता हूं। जैसा यहां उल्लेख हुआ है कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव गोरखपुर और बस्ती मंडल में है, जहां से हम लोग चुनकर आते हैं। ...(व्यवधान) परंतु अब यह उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में फैल गई है। खुद माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि देश के 19 राज्यों के 171 जिलों में इसका प्रकोप बढ़ गया है। यह बात मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार की है। अब इस बीमारी की गंभीरता और प्रभाव के संबंध में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और न यह विषय कोई राजनीतिक है, जिस पर कोई आरोप-प्रत्यारोप किये जाएं। यह ऐसा विषय है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि चाहे जापानी इंसिफलाइटिस हो, एईएस हो या बीई हो, इस बीमारी से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, अपने भाषण के पहले पैराग्राफ में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 25 प्रतिशत बच्चे मर जाते हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 40 प्रतिशत बच्चे यदि बचते हैं तो वे विकलांग हो जाते हैं, मैन्टली रिटार्डेड हो जाते हैं। इसके अलावा शायद जिस परिवार के लिए अपनी जिंदगी गरीबी के कारण एक बोज़ बनी हुई है और ऊपर से उसका बच्चा जापानी इंसिफलाइटिस एईएस के प्रकोप से प्रभावित होकर विकलांग

हो जाए या मैन्टली रिटार्डेड हो जाए तो उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए वह बच्चा उस परिवार के लिए उसकी गरीबी के साथ-साथ एक अभिशाप बन जाता है। इसलिए आज इस सदन को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि यदि सौ बच्चे इस बीमारी से बीमार होते हैं तो उनमें से 25 बच्चे या तो मर जाते हैं और 40 बच्चे जीवन भर के विकलांग हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कौन सा उपाय हम करें। यह सवाल केन्द्र सरकार का नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैल्थ राज्य का विषय है।

अभी एक बात उठी कि यदि एनआरएचएम का पैसा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपके सामने अपनी बात कहना चाहता हूँ तो वह पैसा राज्य को जायेगा और पैसा खर्च करना राज्य का काम है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब यह बात उठी तो निश्चित तौर से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि श्री आर.पी.एन.सिंह साहब गये और खुद मैं भी गोरखपुर और बस्ती गया और वहां जो मीटिंग हुई...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक प्रश्न पूछिये और समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो जी-1 बनाया और 4 नवम्बर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कांस्टीट्यूट हुआ, 21 नवम्बर को उसकी पहली बैठक हुई, 25 नवम्बर को बैठक हुई, 9 दिसम्बर को बैठक हुई तो इन तीनों बैठकों का क्या निष्कर्ष निकला? यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, उसको देखते हुए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे पोलियो के उन्मूलन के संबंध में या मलेरिया के उन्मूलन संबंध में है, क्या उस प्रकार का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया है? यह वॉटर बॉर्न डिजीज़ है या स्वच्छ पेय जल की कमी है या पिंग से वॉयरस जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने गोरखपुर के सर्किट हाउस में बात हुई, जिसको उन्होंने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि जापानी इन्सेफेलाइटिस जो 36 प्रतिशत था वह घट कर का 6.4 प्रतिशत हो गया। लेकिन एक महीने पहले उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है इस बीमारी का ट्रेंड राइज हो रहा है। दूसरी बीमारी जो खत्म हो रही है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। कितने प्रश्न पूछेंगे? एक प्रश्न पूछना होता है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : एईएस यानि एक्युट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसका पूरे विश्व में अभी तक कोई इलाज नहीं है, क्या भारत सरकार उसके इलाज के कोई रिसर्च कराएगी? खुद माननीय मंत्री जी कहें कि एईएस के संबंध में कोई वैक्सीन है? चाहे उसके प्रिवेंशन के लिए हो या चाहे उसके उपचार के लिए

दवाओं के रूप में हो तो उस पर भी कोई रिसर्च होगा? उस रिसर्च के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है? भारत सरकार के मंत्रालय के कोआर्डिनेटिड अफर्ट उस संबंध में क्या हुए हैं? जैसा माननीय आदित्य नाथ जी ने मुद्दा उठाया कि एनआरएचम का इतना सारा पैसा जा रहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतनी लंबी बात मत कीजिए, केवल प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके तीन सदस्य बोल चुके हैं, अब आप शांत रहिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई है, अब समाप्त करें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ये क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वे मेरी ससुराल के हैं। अगर वे मेरी बीमारी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सब लोग क्यों खड़े हो रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक अंतिम मांग करता हूँ कि एनआरएचएम की निर्धारित राशि इस जेई, एईएस के उन्मूलन के लिए उसमें निर्धारित की जाए। इस संबंध में वैक्सिन की उपलब्धता कराने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर सिद्धार्थ नगर में वैक्सिन की एक फैक्ट्री लगाने की बात होगी? इम्यूनाइजेशन का काम बिल्कुल फेल रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। उस इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सिन की उपलब्धता पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कितना लंबा बोलेंगे? आपको केवल एक प्रश्न पूछना था। मैंने विशेष अनुमति दी तो आप इतना लंबा बोल जाएंगे?

... (व्यवधान)

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: Now, you may please take your seat.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You may please conclude now.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing more will go on record.

(*Interruptions*) ... *

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठ जाइए खड़े क्यों हैं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने नोटिस क्यों नहीं दिया है? इन्होंने नोटिस दिया है। जिन्होंने नोटिस दिया है, उन सब को हमने बोलने का मौका दिया है। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? इस तरह से मत कीजिए। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। अगर बैठ जाएंगे तो हम सोचेंगे भी कि आपको बुलवाना है या नहीं बुलवाना है।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: No. Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: I will not give you a chance, if you stand up and behave like this. Please sit down. First you may take your seat. I will not give you a chance. Nothing is going on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: First you must sit down and then, I may consider calling you.

(*Interruptions*) ... *

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आपको समझ नहीं आ रहा है? आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing, except what the hon. Minister says, will go on record.

*(Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you may address these issues.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: महोदया, मैं उन तमाम साथियों का अपनी तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, बहुत ही जरूरी विषय पर, जिससे आज देश के बहुत क्षेत्रों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बीमारी की वजह, दिमागी ज्वर की वजह से हमारे हजारों बच्चों की जान जाती है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री गुलाम नबी आज़ाद : योगी जी ने तो बहुत अच्छी शुरूआत की थी।

श्री दारा सिंह चौहान : अंग्रेजी में जवाब दीजिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अंग्रेजी, हिन्दी के बारे में कुछ नहीं, हमारी सब भाषाएं हैं, हमें इस चक्कर में नहीं जाना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अंग्रेजी अपनी भाषा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सुबह से शाम तक तो अंग्रेजी में लिखते हो, लेकिन आंकड़ों का और सालों का जिक्र करने में वे भूल गये कि किस साल में किसकी सरकार थी, उसमें जरा वे चूक कर गये।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing, except what the hon. Minister is saying, will go on record.

*(Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं इस सत्र के आखिरी दिन कोई खटास पैदा नहीं करना चाहता हूँ, पहले ही बहुत खटास पैदा हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता"।...(व्यवधान) मेरी पार्टी और मेरे एलाईज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है- जो करते हैं उन्हें जताना नहीं आता, जो जताते हैं वे करते कुछ नहीं।...(व्यवधान) हमारी यह समस्या रही है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing, except what the hon. Minister says, will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हमने बड़े आराम से, बड़ी शांति से आपकी बात सुनी।...(व्यवधान)

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब सुनाने की हिम्मत होती है तो सुनने की भी उतनी हिम्मत होती है और जो सुनाये और न सुने तो उसे सुनाना नहीं चाहिए। अगर वह सुनाये तो उसे सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing, except what the hon. Minister says, will go on record.

*(Interruptions) ...**


श्री गुलाम नबी आज़ाद : सबसे पहले हमारे कुछ साथियों ने कहा कि सरकार ने, भोला सिंह जी ने फरमाया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ, यह मैं केवल उत्तर दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपने बताया, मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर वह उत्तर दिल के आर-पार चला जाये तो मेरा कुसूर नहीं, क्योंकि जैसा सवाल था, जवाब भी वैसा ही जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि मुझसे पहले जो सरकारें थीं या हमसे पहले जो सरकारें थीं...(व्यवधान) हर साल दो विजिट ऑफिस...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिये। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसीलिए मैंने पहले कहा कि या तो सुनाना नहीं चाहिए या फिर सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर उन्मुख होकर बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, पिछले दो सालों से, जब से यूपीए-2 आई है और हम हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, केन्द्रीय सरकार की तरफ से 35 विजिट जैपनीज़ एनिसिफलाइटिस अफैक्टेड एरियाज़ में किये गये हैं। इसमें दो मिनिस्टर लैवल की विजिट गोरखपुर में ही हुई हैं। इससे पहले कभी किसी मिनिस्टर की विजिट नहीं हुई थी। ... आपको क्यों परेशानी है, आप उधर थोड़ी हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसीलिए सैक्रेटरी लैवल पर, डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर लैवल पर तीन से ज्यादा विजिट हुई, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज़ लैवल पर पाँच से छः विजिट गोरखपुर में हुई हैं।

* Not recorded.

नेशनल वैक्टर बॉर्न डिजीजेज़ के जो डायरैक्टर हैं, जो पूरे देश की बीमारियों को देखते हैं, उनकी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा विज़िट हुई हैं। जो डिप्टी डायरैक्टर हैं, उनकी एक दर्जन से ज्यादा विज़िट गोरखपुर में और दूसरी जगह हुई हैं। कुल मिलाकर खाली उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में दो सालों में 23 विज़िट मिनिस्टर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स लेवल पर हुई हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलते रहिये। हर समय रियैक्ट मत करते रहें।


...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जब हम खत्म करेंगे, यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, तब आप हमसे पूछिये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब शांत रहिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अब हमने कहा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में वैक्सीन 2006 में आई। उस समय यूपीए गवर्नमेंट का तीसरा साल था। ...(व्यवधान) वैक्सीन 2004 से बनी। उस समय एनडीए नहीं थी। आपने कहा कि एनडीए ने शुरू किया। मैंने कहा कि मैं आपको सही साल बता देता हूँ। ...(व्यवधान) आपने बताया एनडीए ने 2006 में शुरू किया। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त एनडीए नहीं थी, यूपीए था। ...(व्यवधान) मैं खाली करैक्शन कर रहा हूँ। आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूँ कि आपने बताया एनडीए ने किया। मैं तो करैक्शन कर रहा हूँ कि उस वक्त यूपीए थी। आपकी जनरल नॉलेज की करैक्शन कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) 11 जिलों में उस वक्त किया, यूपी के 28 जिलों में 2007 में किया, 22 जिलों में 2008 में किया, 30 जिलों में 2009 में किया और 20 जिलों में 2010 में किया। इस तरह से 2006 से लेकर 2010 तक उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में जैपनीज़ एनसिफलाइटिस के वैक्सीनेशन हुए। सात जिलों में जहाँ सबसे ज्यादा यह बीमारी है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर, उनमें 2010 में दोबारा से वैक्सीन किये गये। अभी आप कहेंगे कि दोबारा से वैक्सीन क्यों किये गये, क्योंकि 2006 में इन्हीं जिलों में जब वैक्सीन किये गये थे तो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिये जाते हैं, वैक्सीन लगाने के पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिये जाते हैं। मैं यहाँ यूपी की सरकार की बात नहीं करूँगा, पूरे देश में किसी पार्टी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, मुझे आज अफसोस है, खेद से कहना पड़ता है कि जो आँकड़े हमें दिये जाते हैं, वे आँकड़े ज़मीन पर नहीं होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। इसलिए किसी पार्टी और पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए कि उनके खिलाफ है, चाहे वह किसी किस्म की वैक्सीन हो यह नहीं कि जैपनीज़ एनसिफलाइटिस की हो। लेकिन उस वक्त 90 से ज्यादा परसेंटेज दिखाई गई कि वैक्सीन

की गई। लेकिन जब दोबारा यूएनएसएफ की एजेन्सी ने सर्वे किया तो मालूम हुआ कि दुर्भाग्य से सिर्फ 50 परसेंट लोगों को ही वैक्सीन हुआ था न कि 90 प्रतिशत लोगों को, जैसा कि राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था। इसलिए 2010 में हमने दोबारा वैक्सीन किया। मैं कह सकता हूँ कि वह 80 प्रतिशत से ज्यादा हुआ और यही उसका परिणाम हुआ जो मैंने अपने उत्तर और स्टेटमेंट में कहा था कि उसकी वजह से कम हुआ है। ... (व्यवधान)

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि जो जैपनीज़ एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम है, इसमें सैंकड़ों किस्म के वायरस हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही वायरस जैपनीज़ इन्सेफलाइटिस है, जिसका इलाज है, जिसके लिए दवाई का इलाज है, बाकी तो सिम्प्टैमैटिकली है, बुखार हुआ, कुछ दूसरा हो गया तो उसको सैम्प्टैमैटिकल कहते हैं। लेकिन जैपनीज़ इन्सेफलाइटिस के लिए हम वैक्सीन देते हैं और चाहे हमारे देश में नहीं भी बनता है, तो भी हम  से, जापान से लाकर देते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। भोला सिंह जी, आज आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ असैम्बली हर साल होती है और उसमें 193 देश हैं। 100 देशों के स्वास्थ्य मंत्री उसके मैम्बर हैं। आज दुनिया में कोई भी बीमारी या वायरस निकलता है तो वर्ल्ड हेल्थ ओर्गेनाइजेशन तुरंत 193 देशों को इत्तला देती है कि यह नई बीमारी है और उसका यह इलाज है या यह वैक्सीन या टेबलेट है या यह मैनेजमेंट है। इसलिए जब इस्तीफे की बात करते हैं तो दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और साइंटिस्टों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जैपनीज़ इन्सेफलाइटिस के अलावा कोई टेबलेट नहीं निकाली है और जब निकलेगी तो जरूर होगी।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जैपनीज़ इन्सेफलाइटिस का वैक्सीन हम पहले जापान से लाते थे और अभी पहली दफा बायलॉजिकल इवेंस जो एक प्राइवेट सैक्टर कंपनी है, इसको अभी लाइसेंस दिया गया है। इसने जितनी फोर्मेलेटिज़ थीं, वे तमाम मुकम्मल कीं और इस मई से यह वैक्सीन मार्किट में आ जाएगा। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह से भारत बायोटेक बनाएगा, जिसका अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इससे पहले के ट्रायल खत्म हो गए हैं और मुझे यह कहना है, विशेषकर भोला सिंह जी से कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट, पूना में है, यह बड़ा इंस्टीट्यूट है, वह बनाएगा और तैयार करेगा। इस साल के आखिर तक यह भी मार्किट में आ जाएगा। यह उपलब्धि हमारी दो साल की है।... (व्यवधान) योगी आदित्यनाथ जी ने फरमाया था कि वैक्सीन एक ही देते हैं, जबकि तीन देनी चाहिए। वैक्सीन तीन किस्म की हैं। वैक्सीन किससे बनती है, कौन बनाता है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो बड़ा महाभारत शुरू हो जाएगा कि कौन किससे वैक्सीन लेगा और कौन किसको लगाएगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यह कई अलग-अलग चीजों से बनते हैं। लेकिन एक वैक्सीन जो पहले था, जिसके

बारे में आपने कहा कि तीन दफा लगाते हैं। कोई वैक्सीन ऐसी होती है, जिसकी पोर्टेंसी कम होती है तो उसे तीन में लगाना चाहते हैं। लेकिन हम जो वैक्सीन देते हैं, उसकी पोर्टेंसी ज्यादा है, यह ज्यादा शक्तिशाली है। तमाम साइंटिस्टों ने कहा है कि इसके लिए एक ही वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन स्वयं अपने लिए... (व्यवधान)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Is it approved by WHO?

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is approved by WHO. कोई भी वैक्सीन डब्ल्यूएचओ के एप्रूवल के बगैर नहीं होती है ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. Ram Chandra Dome, please take your seat. You address the Chair. Nothing else will go in record.

(*Interruptions*) ... *

श्री गुलाम नबी आज़ाद : न सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के लिए बल्कि मेरी सैटिसफैक्शन के लिए जब मैं गोरखपुर गया था तो वहां से आने के तुरंत बाद मैंने आईसीएमआर और हेल्थ रिसर्च के लोगों को यह काम दिया कि इस पर पूरे देश के साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाएं कि क्या दूसरे डोज़ की जरूरत है या नहीं। उनकी एकाध मीटिंग अभी हुई है। फाइनल रिपोर्ट में यदि दूसरे डोज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। लेकिन वह हेल्थ मिनिस्टर तय नहीं करेगा, जो योग्य लोग हैं, वे तय करेंगे।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI GHULAM NABI AZAD: I would like to mention the steps taken by the Government of India. ... (*Interruptions*) आप इलाज भी चाहते हैं और दवाई भी नहीं खाना चाहते हैं। Madam, the measures and initiatives taken by the Ministry of Health, Government of India, particularly in Uttar Pradesh, from 2006 to 2010, are as follows. Special JE vaccination campaign was launched in 34 districts and repeated in 7 districts in 2010. In 2007 for better coordination and management, JE sub-office of Lucknow, regional office was opened in Gorakhpur. आपने फरमाया कि एनडीए ने खोला, लेकिन वर्ष 2007 में यूपीए सरकार थी, उसने खोला था। In 2007, Epidemiological and Entomological studies and close coordination, a vector borne disease surveillance unit was also opened in DRD medical college, Gorakhpur. In

* Not recorded.

2008, National Institute of Virology, Pune का एक यूनिट स्पेशली गोरखपुर में खोला गया और उस पर 16 करोड़ रुपए हमारे मंत्रालय ने मेडिकल कॉलेज को दिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास पहले सिर्फ जेई के बारे में जानकारी थी और उस जेई के एक सौ से ज्यादा वायरसिज़ हैं तो वह फील्ड आफिस जो हमने गोरखपुर में खोला था, वह कामयाब हो गया गोरखपुर में एक और वायरस निकालने में, इन सैंकड़ों वायरसों में से और वह है एंट्रो वायरस। उस एंट्रो वायरस की दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं है। यह वॉटर बॉर्न डिजीज़ है। यह वॉटर बॉर्न कैसे है कि यह इंसान के पेट में होता है और जब मल के साथ इंसान के निकलता है और जहां लैट्रिन नहीं है, आस-पास के खेतों में लोग जाते हैं, यदि वहां साफ-सफाई न हो और यदि पानी वहां दो-तीन महीने जमा रहे तो यह वायरस मल के साथ दस-पन्द्रह फीट तक नीचे चला जाता है। गोरखपुर में या देश के अन्य हिस्सों में जहां-जहां भी यह एंट्रो वायरस होगा, वहां हेण्डपम्प हैं, शेलो हेण्डपम्प हैं, गोरखपुर में आप देखिए कि लाखों की तादाद में घरों में दस-पन्द्रह फीट पर दो-दो हेण्डपम्प हैं, इससे जब ये पानी निकालते हैं, तो वह आदमी के पेट में चला जाता है, जिसके बाद वह ब्लड वैज़ल्स से ब्रेन में चला जाता है। इसीलिए उसका इलाज यही है कि हम दस फीट वाला हेण्डपम्प बंद कर दें और डीप बोरवैल 70-80 फीट खो दें तो यह बीमारी नहीं आएगी। इसलिए यह सैनीटेशन से जुड़ी हुई है, साफ-सुथरे पानी से जुड़ी हुई बीमारी है।...(व्यवधान)

In 2009, in addition to Rs. 16 crore earlier, an amount of Rs. 5,88,00,000 was released to the State Government for upgradation of JE Epidemic ward at medical college, Gorakhpur. Another amount of Rs. 2.77 crore was released to the State Government of Uttar Pradesh for laboratory facilities at 11 JE sanitation sites for regular supply of JE diagnosis kits. In 2010, the Physical Medicine Rehabilitation Centre at BRD Medical College, Gorakhpur was set up with direct financial support of Rs. 54.51 lakh. In 2011-12, an amount of Rs. 47.48 lakh has been approved for implementation of Model Action Plan for control of JEs in Kushinagar district. In 2011, an amount of Rs. 18.88 lakh have been sanctioned for 100-bedded new JE ward at BRD Medical College of Gorakhpur. Then, Rs. 99 lakh have been sanctioned for ventilator support of Neonatal Unit for JE cases in Medical College, Gorakhpur in 2011. Then, Rs. 240 lakh have been sanctioned

for additional human resource support for JE ward at BRD Medical College, Gorakhpur in 2012.

Madam, a multi-pronged strategy, JE vaccination and other measures have resulted in the decline of JEs and AES in Uttar Pradesh from 6061 cases and 1500 deaths in 2005 to 3378 cases and 543 deaths in 2011. A large part of AES is due to the Entero-virus which I have already mentioned. So, I would not like to repeat it.

Now, what has happened there? After going there, I have realised it. जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि यह बीमारी सिर्फ़ वैक्सीन से ही ठीक नहीं होगी, इसमें वाटर बोर्न डिजीजेज को कंट्रोल करना है। उसमें हमें वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें सैनिटेशन है, दूसरी मिनिस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 30 बच्चे तो मर जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं उनमें 30 से 40 प्रतिशत शारीरिक रूप से क्रीपल्ड हो जाते हैं। इसलिए रिहैबिलिटेशन की जरूरत है।

मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि उधर से आने के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की कि यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इसमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटजी होनी चाहिए। सभी मंत्रालयों को उसमें जोड़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर के महीने में मेरी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनायी। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वूमन एण्ड चाइल्ड मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एण्ड एमपावरमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और ड्रिंकिंग वाटर एण्ड सैनिटेशन मिनिस्ट्री है। मुझे खुशी है कि इस एक-सवा महीने में हमारी तीन मीटिंगें हुई हैं और फाइनल ड्राफ्ट कैबिनेट के लिए तैयार है ताकि हम केन्द्रीय सरकार की तरफ से और राज्य सरकार मिलकर एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटजी बनाकर, इसको न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए जो बाकी राज्यों में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं और अगले प्लान से, बारहवीं योजना से उसको लागू करें।

जहां तक हमारे सभी सदस्य चाहे योगी जी, पाल जी, और सभी साथियों ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इसको एम्स लेवल का इंस्टीच्यूट बनाया जाए। अभी पांच दिनों पहले मैंने झांसी में एलान किया है कि अगले प्लान में, जो अगले साल में शुरू होगा, प्लानिंग कमीशन से पिछले दो सालों से हम सम्पर्क में थे, और मुझे खुशी है कि प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश के लिए इन प्रिंसिपल एप्रूवल दिया है, वह है एक झांसी का और दूसरा है गोरखपुर का। इनको एम्स की तरह का इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दफा हमारे सभी साथियों की भावनाओं का बहुत कद्र करता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 6111/15/11)

12.55 hrs.**UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2011***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): On behalf of Shri P. Chidambaram, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.”

The motion was adopted.

SHRI JITENDRA SINGH: I introduce the Bill.

12.35 ½ hrs.**MATTERS UNDER RULE 377 ****

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.11.

** Treated as laid on the Table.

(i) Need to control the prices of fertilizers in the country and to ensure its availability to the farmers at reasonable price.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Our UPA Government has allowed the fertilizer manufacturing companies to fix the price of urea, potash and phosphate- based fertilizers. At the same time, the Government had promised to extend a fixed amount of subsidy as assistance to farmers. Urea constitutes almost 50% of the country's fertilizer consumption.

To quote certain facts, the urea produced by Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., (FACT) Kochi, costs Rs.5,540 per tonne. After decontrol of prices, it would cost Rs.17,540 per tonne. The price of factum fos is Rs.8,420 per tonne, which will go up to Rs.20,755 per tonne. Similar is the case with M.O.P., 20:20, 10:26:26, DAP and super phosphate.

Thus, the high prices would lead to sharp reduction in consumption of said fertilizers and in turn steeply increase the cost of foodgrain production.

Any reduction in the use of steel, cement, automobiles etc. for a couple of years will not have that much effect, but the substantial decline in the consumption of the fertilizers will have greater effect on the foodgrain production which can play havoc with the lives of the people.

I request the Government to consider once again to control the prices of all types of fertilizers in the interest of farmers and make them available to the farmers at reasonable price, place and time.

(ii) Need to develop the Cuddalore port in Tamil Nadu.

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): My parliamentary constituency Cuddalore in Tamil Nadu is a fast growing industrial city in Southern India located South of Pondicherry on the coast of Bay of Bengal. There are several crushing mills in the vicinity of the port and Sugar factories are also located at Nellikuppam, Pennadam and Mundiampakkam near Cuddalore. The southern Railway metre gauge main lines from Chennai to Rameshwaram passes through Cuddalore junction. There is also a direct metre gauge Railway link between Hospet-Bellary area via Ranigunta, Arakkonam, Chengalpattu and Villupuram. The Cuddalore port is well connected by roads. Cuddalore is known for its Silver Beach. It is the place of confluence of three rivers namely Pennaiyar river, Kedilam and Paravanar. The Gedilam river flows through the town and separates the old town from the new one. There are Thermal Power Plant, fertilizers plant, one chemical project and ship building project is also coming up in the region. The port of Cuddalore is required to be developed to serve the increasing demands of shipment and cargo facilities on the pattern of joint venture. There are 3 R.C.C. cargo sheds each with plinth area of 720 sq. mts. available. The two available Transits sheds each of 293 sq. mts. Plinth area are not enough to meet the increasing demand of cargo facilities.

I would like to request to develop the Cuddalore port with state of the art technology to fulfill and meet the demands of the industrial activities of the Southern India.

(iii) Need to restart the closed cloth mills of Indore, Madhya Pradesh and also give the workers of the closed Mills their dues

श्री सज्जन वर्मा (देवास): इन्दौर शहर पूर्व में मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कपड़ा उद्योग के नाम से विख्यात रहा है। इन्दौर शहर में कपड़ा उद्योग लगातार लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहा। लगभग 40 वर्ष पूर्व कपड़ा उद्योग में आई मंदी एवं गिरावट के दौर में इन्दौर की मिलें भी इससे अछूती नहीं रही और मिलें घाटे में आने लगी। तब देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने मध्य प्रदेश की 7 मिलों के साथ ही इन्दौर के 3 मिलों का भी राष्ट्रीयकरण सन् 1972 में किया था। मिलों का राष्ट्रीयकरण करके केन्द्र में राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग निगम (एन.टी.सी.) का गठन किया और इसी निगम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत मिलों का संचालन भी किया जाता रहा। सन् 2002 में एन.टी.सी. द्वारा इन्दौर की तीनों मिलों (मालवा मिल, कल्याण मिल, स्वदेशी मिल) को बंद कर दिया गया। मिलें बंद करते समय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसमें इन्दौर की एक मिल को चलाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। किंतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसके बाद भी इन्दौर की एक भी मिल चालू नहीं की गई और न ही इसके लिए कोई कार्यवाही की गई। इसकी वजह से हजारों मिल मजदूर बेरोजगार हो गए और इनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं तथा इस वजह से आज तक सैंकड़ों मजदूर आत्म-हत्या कर चुके हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक परीक्षण दल भेजकर कपड़ा मिल चालू करवाने की पहल करें एवं अपने वादे को निभाए तथा मध्य प्रदेश सरकार को इन्दौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मिल की जमीन बेचकर मजदूरों के हक का 229 करोड़ रुपया दिलवाने हेतु निर्देशित करें।

(iv) Need to send a central team to inspect the quality of work executed under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission in Madhya Pradesh

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य में हो रहे अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हाल ही में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने जेएनएनयूआरएम के तहत उज्जैन के लिए मंजूर पेयजल सप्लाई लाइन डालने के 60 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपये की अनियमितता का प्राथमिक मामला पकड़ा है और जांच प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना इस बात की मिसाल है कि मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में कितनी और कैसी लापरवाही बरती जा रही है। इसके पूर्व उज्जैन में ही “प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क” योजना और “केन्द्रीय सड़क निधि” के तहत मंजूर प्रोजेक्टों में अनियमितताओं की शिकायत मैंने की थी। मेरी शिकायत पर केन्द्र सरकार ने जांच दल भेजा। जांच दल ने जाकर जब मौके पर हालात देखें तो यह पाया कि इन योजनाओं के तहत मंजूर की गई सड़कें हकीकत में बनाई ही नहीं गईं तथा कागजों में सड़क का निर्माण पूर्ण दिखाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया और जो सड़कें बनाई गई हैं वो मात्र छः महीने में ही टूटकर खराब हो गई है।

मेरा आग्रह है कि जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर किए गए मध्य प्रदेश के प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच दल भेजा जाए।

(v)Need to accord environmental clearance to Karwapa and Channa minor irrigation projects in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महाराष्ट्र राज्य का गडचिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र का एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के गडचिरोली जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गडचिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित है, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह गडचिरोली आदिवासी जिले की कारवापा व चन्ना लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति इन परियोजनाओं से लाभांवित होकर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

(vi) Need to impress upon the Government of Uttarakhand to extend the benefits of Sixth Pay Commission and Assured Career Progression to Group 'D' Employees of the State

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी छठे वेतनमान के वास्तविक लाभ एवं 1 सितम्बर, 2008 से ए.सी.पी. क लाभ प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने कार्यों को भली प्रकार संपादित कर रहे हैं। उसके बाद भी इन्हें अब तक उक्त दोनों लाभ नहीं दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह इन अल्प वेतन भोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सितम्बर, 2008 से छठे वेतनमान का लाभ प्रदान करे।

(vii) Need to increase the frequency of daily trains between Mahua and Bhavnagar in Gujarat and convert railway line between Amreli and Dhasa into broad gauge

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): आज हमारे अमरेली जिला को रेलवे के विकास की सख्त जरूरत है। रेलवे के विकास के बिना उस जिले का विकास संभव नहीं है, क्योंकि उस जिले की आबादी लगभग 12 लाख है और वहां के 80 प्रतिशत लोग रोजी-रोटी के लिए छोटे-छोटे व्यापार से जुड़े हुए हैं और हजारों लोग प्रतिदिन अपनी रोजी-रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार के आवागमन करते हैं।

आज हमारे जिला में जो रेलवे लाइन है वह राजुला, अमरेली, सावरकुण्डला, ढसा, लिलिया, डामनगर, पिपावा जैसे क्षेत्र को जोड़ता है लेकिन यहां मुख्य समस्या यह है कि जो एक ट्रेन महुआ से भावनगर सुबह में चलती है वही ट्रेन शाम में वापसी न होकर वह अगले दिन सुबह में वापसी होती है। इससे यात्री को एक रात वहां रुकना पड़ जाता है या फिर उन्हें बस में 125 ₹ से 150 ₹ किराया खर्च कर आना पड़ता है और इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

मैं रेलवे मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि महुआ से भावनगर तक प्रतिदिन सुबह में दो ट्रेन जाने के लिए और उसी दिन दो ट्रेन वापसी के लिए चलाये ताकि वहां की जनता की समस्या है, वह समाप्त हो सके और महोदय साथ ही साथ वहां की जनता की एक मांग वर्षों से चली आ रही है वह यह है कि क्षेत्र को जोड़ने वाली जितनी भी नैरोगेज या मीटरगेज लाइन हैं उन्हें ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये और विशेषकर अमरेली से ढसा तक जो लाइन है, उन्हें शीघ्र ही ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये।

(viii) Need to enhance the Minimum Support Price of cotton and provide financial relief to the distressed cotton farmers

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश के कपास उत्पादक किसानों को उनके लागत मूल्य के अनुसार दाम नहीं मिलने से वे परेशान हैं। पिछले वर्ष वैश्विक बाजार में कपास के मूल्य में तेजी के कारण देशांतर्गत दामों में उछाल आने से किसानों को 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला था लेकिन इस वर्ष वैश्विक बाजार में कपास के मूल्य में आई मंदी के कारण देश में भी कपास के दाम गिर गये हैं। किसानों की बढ़ती लागत मूल्य का विचार किये बिना न्यूनतम समर्थन में कोई बढ़ोतरी किये बिना 3200 रुपये प्रति क्विंटल दाम सुनिश्चित करने से किसानों पर कुठाराघात हुआ है। इससे स्थानीय स्तर पर निजी व्यापारियों ने कपास खरीद में दाम घटाकर किसानों से कम दामों में खरीद शुरू की, फलस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग ने 2011-12 के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 900 रुपये की बढ़ोतरी की सिफरिश करने के बाद कपास का मूल्य 4200 रुपये प्रति क्विंटल होने के अनुमान से किसानों को थोड़ा दिलासा मिल सकती थी लेकिन सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं करने से किसान निजी व्यापारियों की गिरफ्त में फंसकर औने-पौने मूल्य में कपास बेच रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कपास के खरीद केन्द्र नहीं खोलने से किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है।

देश में कपास उत्पादक क्षेत्र में अधिक संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कपास उत्पादक क्षेत्र को किसान आत्महत्या प्रवण क्षेत्र कहा जाता है। कपास का लागत मूल्य के अनुसार खरीद मूल्य नहीं मिलने से किसानों और आत्महत्या की तरफ बढ़ सकता है। बढ़ती महंगाई, बीज, खाद और मजदूरी के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए कपास का कम से कम 6000 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल दाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज इसी मांग को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन के माध्यम से संघर्ष किया जा रहा है। इन संघर्षरत किसानों की जायज मांग को देखते सरकार किसानों के कपास का समर्थन मूल्य 6 से 7 हजार रुपये तथा कपास उत्पादक किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें प्रति एकड़ 20 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए। मैं कपास उत्पादक किसानों के आजीविका से जुड़े मामले पर सरकार द्वारा तत्काल कारवाइ करने की पुरजोर मांग करता हूँ।

(ix)Need to provide houses under Indira Awas Yojana to BPL families in each Gram Panchayat and also make provision for construction of Indira Awas from MPLADS fund

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर):ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों की सूची बहुत लंबी है एवं प्रति ग्राम पंचायत उपलब्धता केवल एक अथवा दो होने के कारण पात्रता रखने के बावजूद भी उन्हें इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ।

अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, आदिवासी, निशक्तजन, विधवा एवं अन्य आरक्षित /सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. धारकों को जो इंदिरा आवास की पात्रता रखते हैं, को कम से कम पाँच इंदिरा आवास प्रति वर्ष आवंटित किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश:बजट आवंटन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध है ।

साथ ही चूंकि यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में काफी लंबी है अतः शीघ्रता से इसे पूरा करने के लिए सांसद निधि से इंदिरा आवास निर्माण हेतु (लंबित प्रतीक्षा सूची में से ही सांसद के विवेकाधीन कोटे अनुसार) अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध है ।

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर संबंधित प्राधिकारी को समुचित निर्देश जारी करें ।

(x)Need to provide Rake Point Facility at Modasa Railway Station in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है जो कि आज आजादी के 64 सालों के बाद भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में रेलवे का विकास न होने के कारण ज्यादा उद्योग नहीं लगे हैं तथा पूरा क्षेत्र आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करता है ।

हमारे क्षेत्र में रेल सेवाओं की कमी है तथा जो रेल सेवाएं उपलब्ध हैं उनकी स्पीड बहुत कम है । क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी गुड्स रैक पाइन्ट फेसिलिटी भी पूरे क्षेत्र में नहीं है । 25 लाख से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में जीवनोपयोगी सामग्री तथा कृषि से संबंधित खाद तथा अन्य वस्तुएं अन्य क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा लाई जाती हैं जो कि हर समय वाहन उपलब्ध नहीं होने से समय पर नहीं पहुंच पाती है और यह आवागमन काफी खर्चीला होता है ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मोडासा रेलवे स्टेशन पर " रैक प्वाइंट " की सुविधा प्रदान की जाए । मैंने रेलवे विभाग के सामने यह मांग रखी थी, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला । इसकी वजह से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं तथा जन-आंदोलन करने की सोच रहे हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि संबंधित रेल अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर उपरोक्त क्षेत्र को रैक प्वाइंट फेसिलिटी प्रदान करें ।

(xi) Need to ensure participation of farmers in industries whose lands have been acquired for setting up of industries in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच): देश में खेती बाड़ी वाली भूमि पर उद्योग लगाये जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत किसानों की जमीन जन सुविधा के नाम पर ली जाती है और उसी जमीन को उद्योगपतियों को आवंटित की जाती है। नियमानुसार उद्योग को बंजर भूमि पर एवं कम से कम भूमि में लगाना चाहिए जिससे खाद्यान्न उत्पादन पैदा करने वाली भूमि का क्षेत्र कम न हो सके। उपजाऊ भूमि पर उद्योग लगने से कृषि भूमि का क्षेत्र कम हो रहा है और जमीन से वंचित होने पर किसान बेरोजगार हो रहे हैं और किसानों को विस्थापित किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच में कई किसानों की जमीन उद्योग धंधों के लिए कई सालों से ली जा रही है और किसान विस्थापित एवं बेरोजगार हुए हैं। किसानों की जमीन लेने के बाद उद्योग धंधों में इन किसानों को नौकरी भी नहीं दी जाती है और सरकारी मुआवजा बाजार मूल्य से बहुत ही कम होता है।

सरकार से अनुरोध है कि जब भी किसानों की जमीन उद्योग धंधों के लिए एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जाए उनमें किसानों को उद्योगों में भागीदारी मिले जिससे किसान के परिवार का लालन पालन हो सके।

(xii) Need to open a Central Agricultural College in Dakshin Dinajpur, West Bengal.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): The land available in Dakshin Dinajpur, West Bengal is very fertile. A state agriculture farm is also situated here. A large number of land is there under this state agricultural farm. Research work is also being conducted there. This area is an agricultural belt and people here depend on farming. I, therefore, request that Central Agricultural College be opened in Dakshin Dinajpur, West Bengal, so that the people of this are and whole North Bengal could be benefitted.

अध्यक्ष महोदया: पूनिया जी, बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शून्य प्रहर शुरू हो गया है। कृपया शान्त हो जाइये। बैठिये, बैठ जाइये।

पूनिया जी, आप बोलिये।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया।

अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संविधान में की गई विशेष व्यवस्थाओं के बावजूद इस वर्ग के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 1995 में बनाए गए नियम के अनुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो अत्यन्त गम्भीर विषय है। आज देखने में आता है कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और यदि किसी दबाव में रिपोर्ट दर्ज भी कर ली जाती है तो पुलिस किसी न किसी दबाव में अपराधियों को ही संरक्षण देती नज़र आती है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा तो पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा और बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है।

90 प्रतिशत से भी अधिक बलात्कार की शिकार अनुसूचित-जाति, जनजाति की महिलाएं हो रही हैं। इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि या तो वर्तमान कानून में कोई कमी है या इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी समीक्षा की जानी अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित-जाति, जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तथा उक्त कानून की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी किया जाये।

अध्यक्ष महोदया: श्री कमल किशोर कमांडो को श्री पी.एल. पूनिया के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Madam Speaker, thank you very much. I would like to bring the following matter of urgent public importance to the notice of the House under 'Zero Hour'.

The economic status of the State of Tamil Nadu is improving. It is improving agriculturally, educationally and also industrially. Now-a-days, Tamil Nadu is providing job opportunities to people from all over the country. Tamil

Nadu has become the hub of industrial activity also. For all this, power is very much necessary and it plays a pivotal role in development. Due to this, there is an ever-increasing demand for power. But there is stagnation in the generation of power. The Tamil Nadu Electricity Generation and Distribution Company is forced to resort to scheduled as well as unscheduled load-shedding to the extent of about 1,500 mw which is affecting the industrial sector and the domestic consumers.

There is an inadequate supply of power to agricultural pump-sets which is affecting the production of food grains. The State Government of Tamil Nadu is taking all necessary steps to improve the energy efficiency so that the gap between the supply and demand is reduced.

Nevertheless to meet the genuine needs of the farmers and the public, the State Government of Tamil had requested for additional allocation of power of 1,000 mw to be made in 2012 from the Central pool. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu had also written a letter to the hon. Prime Minister in this regard.

I urge upon the Central Government to immediately take necessary action to sanction 1,000 mw of additional power from the Central pool to Tamil Nadu.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे हिमाचल प्रदेश को जलविद्युत परियोजना में बनने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने वाले विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय और सीमावर्ती प्रांत है, इसमें मुख्य रूप से जलविद्युत और वन सम्पदा ही हमारे यहां मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश की सरकार की ओर से प्रेषित किया गया। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी। उक्त रिपोर्ट को योजना आयोग ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं. 17/2/91 - एफ आर, दिनांक 20-01-1993 द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी।

महोदया, हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी प्रकार की खनिज सम्पदा नहीं है। वहां केवल जल एवं वन ही मुख्य खनिज सम्पदा के रूप में विद्यमान हैं। यदि इनके नियमानुसार दोहन पर भी जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देगी, तो प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। हिमाचल प्रदेश ने स्वयमेव यह निर्णय लिया है कि वन-वर्धन (सिल्वीकलचर) हेतु अथवा सिलैक्टिव साइंटिफिक फ़ैलिंग के अंतर्गत भी वनों को बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश संपूर्ण इंडो-गैंजेटिक प्लेन की पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इस कारण प्रति वर्ष उसे हजारों करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन देश के स्वास्थ्य और विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

महोदया, मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा की जाने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको श्री वीरेन्द्र कश्यप के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, today is the ultimate day of this Winter Session of Lok Sabha. There has been a gross default on our part and that is that we have not been able to raise a very serious situation in this country. I am speaking of the critical economic situation in this country. Neither the Government has come to this House to make a *suo motu* statement nor have we been able to raise it because we have been overwhelmed with other issues.

What is the situation today? The economy is in deep crisis. This is not being discussed in Parliament. The economic growth has slipped down below 7 per cent as never before. Investment has gone down. Private and public investment has gone down. Bank lending has declined. Foreign Direct Investment has slowed down. The foreign investment in the stock market is gradually disappearing. The Index of Industrial Production is all-time low. The external value of money as against the dollar is as low as never before. The Current Account deficit is Rs.70,00 crore which has never been in the recent period. The GDP has declined. Agricultural production has become unstable. As a result of this, there has been a

loss of job and there has been decline in the creation of job. The whole economy is under a staggering impact of slow down. This slow down is accompanied by inflation. Therefore, the country is facing a stagflation for the first time after many years.

Madam, you will kindly realize that the world is also on the brink of another phase of slow down. The forecast is that this slow down in the world economy will persist for years together. As a result of decline of the world demand, Indian exports has declined but Indian imports remain high because of the depreciation of external value of money, the economy has become costlier. Therefore, people are in deep distress. This situation cannot be allowed to be forgotten by the highest national forum. We are thinking of a special Session on many issues. I suggest to the Government, before the Budget Session – because Budget Session may be postponed due to elections – a special Session of Parliament may be called to discuss the economic situation which is extremely grave for the country but we are oblivious of it. We are oblivious of the gravity of the situation. The Government does not speak to us; neither have we been able to speak to you. People of the country understand that farmers are committing suicide but the issue is not being raised; people are losing their jobs, the issue is not being raised; inflation is high, discussion is not being held. Therefore, this distressing... .. (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Gurudas Dasgupta is saying

*(Interruptions) ...**

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is a matter of public importance. ... (*Interruptions*) I am not speaking of price rise, I am speaking of stagflation, which is different from price rise. Ignorance is a premium in this House, I cannot help. Therefore, this distressing situation of the economy as never before, which is having its impact on the human being; human distress is on the rise. We want to

* Not recorded.

know as to what is the strategy of the Government. What is the strategy of the Government? Monetary policy has failed. Thirteen times, the Reserve Bank has altered Repo Ratio Rate and Reverse Repo Ratio Rate. But there is no impact. Investment is going down. No industry is coming up. It is very serious for the country. The Government must allow the nation to be known as to what is its strategy and Parliament has to discuss it. Therefore, I am demanding that the Government should make known its strategy and Parliament Special Session to be called to discuss the grave economic situation.

MADAM SPEAKER: Dr. Kirit Solanki is allowed to associated with the issue raised by Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Earlier this month, we celebrated the 40th Anniversary of the Liberation of Bangladesh. It was perhaps the finest hour for the Indian Armed Forces and this nation. But, Madam Speaker, that hour is tinged with an element of poignancy. There are still 54 Prisoners of War who are believed to be languishing in Pakistani jails. Repeatedly, evidence has emerged. Letters are there; eye witness accounts are there; citings are there about those people languishing in those jails. What I would like to request the Government, Madam Speaker, through you, is that a multi-disciplinary investigation and search agency must be immediately constituted, they should scientifically sift through the entire evidence which is available in the public domain. They should come to a certain conclusion; take it up with the Pakistani Government so that we can bring the closure to the matter because we can imagine the plight of those families who for 40 years do not know as to whether their loved ones are alive or dead. I think, collectively, we owe it to them; this nation owes it to them to try and bring those boys home, who in 1971, risked their lives for this nation.

I would like to request the Government, through you, Madam Speaker, that this matter should be given the highest importance and should be taken up on priority.

MADAM SPEAKER: Shri Mahesh Joshi, Shri Harish Choudhary, Shri Ljyaraj Singh, Shri P.L. Punia, Shri Kamal Kishor 'Commando' and Shri Dushyant Singh are allowed to associate with the issue raised by Shri Manish Tewari.

SHRI TAKAM SANJOY (ARUNACHAL WEST): Madam Speaker, it was in 1999-2000 that the lower Subansiri Hydro Electric Project of 2000 MW in Arunachal Pradesh was awarded to the National Hydro Power Corporation. It took nearly 14 years to conduct survey and investigation by Brahmaputra Board. After five years of its award to the National Hydro Power Corporation, this project was declared by the Government of India as a National project. Nearly 80 per cent of the construction work has been done by the National Hydro Power Corporation. In recent past, in a very sudden and interesting move, the Krishak Mukti Sangram Samiti led by Shri Akhil Gogoi in Assam has created not only nuisance but also havoc to the law and order situation in the North-East. The entire North-Eastern States including Assam are facing a very typical and difficult situation. Madam Speaker, this organization led by Shri Akhil Gogoi is said to have connivance with the CPI(M) Maoists movement in North-East. For the first time in history, there are authentic reports of their having connivance, collecting arms and ammunitions, attacking Assam IRBM and all law and order enforcing agencies arms and ammunitions are being snatched. It is going to be one week now. More than 200 vehicles with people got stranded in Arunachal Pradesh. All heavy equipment, including machineries of National Hydro Power Corporation are not allowed to move into the sight of construction. This is a serious breach and challenge to the national security of our country.

I would urge the Government of India to put up a ban on this organization and declare this organization to be an outlaw organization to ensure that the internal and external security and national security of our country is protected. Thank you very much, Madam.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आपका जीरो ऑवर में नाम नहीं है। मैं आपको बाद में चांस दूंगी।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भूमि अधिग्रहण के मामले को सदन में उठाना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर जिले में कोयले की खानों और पावर प्लांट्स के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण होता रहा है और होने जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का है, जो कि बहुत पुराना है। उस पर कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है और सरकार द्वारा बार-बार कहा जाता है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जो किसानों के हित में होगा, विस्थापित किसानों को न्याय देने वाला होगा। लेकिन बरसों से मांग चली आ रही है कि कानून बदला जाए और ग्रामीण विकास मंत्री जी इस बारे में घोषणा भी कर चुके हैं। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लेकर आएगी और भूमि अधिग्रहण कानून विस्थापितों के हित में होगा। सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र चन्द्रपुर की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहां कोयले की खानों और पावर प्लांट्स के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है। जिलाधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो प्रति एकड़ 20,000 रुपए से 40,000 तक का ही मुआवजा दिया जाता है। यह अतिशय बहुत कम मूल्य किसानों को दिया जा रहा है। जो किसान विस्थापित हो रहे हैं, उनमें इस बात को लेकर भारी रोष और गुस्सा है। वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं और हमने भी आंदोलन किया है। इस तरह से किसानों की जो लूट हो रही है, उनकी भूमि का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जो घोषणा की है कि वह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में नया कानून बनाने जा रही है और सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। तो सरकार ऐसा आदेश निकाले कि जब तक नया कानून नहीं बनेगा, तब तक पुराने कानून के अंतर्गत जो 1894 का एलए एक्ट है या 1957 का कोल-बीअरिंग एक्ट है, इन दोनों के अंतर्गत भी भूमि अधिग्रहण पर रोक लगे और नया कानून बनने तक सरकार किसानों को न्याय देने के लिए इस कानून को जल्दी से जल्दी बनाए। यह विनती मैं आपको माध्यम से करता हूँ। धन्यवाद।

MADAM SPEAKER: Shri A.T. Nana Patil and Shri Danve Raosaheb Patil would like to associate themselves with the submission made by Shri Hansraj G. Ahir.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : थैक्यू मैडम स्पीकर। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने खास कारण से, कम समय की सूचना के बावजूद, मुझे खास पर्मिशन दी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर तमाम सदन का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आकर्षित करना चाहूंगा।

मैडम स्पीकर, यह मामला किसी खास पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, यह मामलों लाखों व्यक्तियों का नहीं बल्कि करोड़ों व्यक्तियों का है। देश की प्राचीन भाषा, सुंदर भाषा, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी भाषा भोजपुरी भाषा, जो न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों की है बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत प्रभाव है। यह भाषा न सिर्फ आम लोगों की भाषा है बल्कि यह मॉरिशस के फादर ऑफ द

नेशन जिन्हें कहते हैं उन सर शिवसागर रामगुलाम की भाषा है। ...(व्यवधान) भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की भाषा है, सम्पूर्ण क्रांति के महानायक जयप्रकाश नारायण जी की भाषा है, परम आदरणीय बाबू जगजीवन राम की भाषा है, हमारे भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व वित्त मंत्री, यशवंत सिन्हा जी की भाषा है। किसी को राष्ट्रीय सम्पत्ति का नारा आज दिया जा सकता है तो हमारे मित्र लालू प्रसाद जी हैं, उनकी भाषा है। स्पीकर महोदया, भोजपुरी आपकी भाषा है हमारी भाषा है। फिर भी इस भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ...(व्यवधान) भिखारी ठाकुर की भाषा है।...(व्यवधान) करीब 20-25 करोड़ लोगों की यह भाषा है और ...(व्यवधान) आज तक सबसे मशहूर अगर कोई रोडियो नाटक हुआ है तो वह भोजपुरी नाटक “ लोहा सिंह” हुआ है। जिस लोहा सिंह का असर आज भी हमारे मित्र लालू यादव जी में कई बार दिखाई पड़ता है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): भोजपुरी महेन्द्र मिश्र की भाषा है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : महेन्द्र मिश्र की भाषा है। ऐसे-ऐसे गुणी, नामचीन और बढ़िया लोगों की भाषा है, बड़े लोगों की भाषा है। मैंने लालू यादव जी को इसलिए राष्ट्रीय सम्पत्ति कहा, जैसे नेशनल पक्षी हमारा मोर है, उसी तरह से लालू यादव जी की लोकप्रियता देश-विदेश में, पाकिस्तान में है तो मैं समझता हूँ कि भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ-साथ अगर लालू यादव जी को भी राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया जाए। अभी हमने एक बहुत ही बढ़िया, लोकप्रिय प्रोग्राम भोजपुरी में किया है “ के बनी करोड़पति!” यह प्रोग्राम भोजपुरी में बहुत लोकप्रिय हुआ और खास बात उसमें यह रही कि वह प्रोग्राम जब भोजपुरी लोग देखते हैं तो उन्हें तो पसंद आता ही है लेकिन साथ ही साथ जो भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं, उन्हें भी यह समझ में आती है। हमारे दो मैथिली के दो लोग हैं, कीर्ति आजाद जी हैं, हुक्मदेव नारायण यादव जी हैं। ...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी भाषा हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं तो आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपके घर का आदमी हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे लोग जो धाराप्रवाह भोजपुरी बोल नहीं सकते हैं, वह भी भोजपुरी को समझ सकते हैं।

13.00 hrs.

तमिल बहुत अच्छी भाषा है, तेलुगु अच्छी भाषा है, पंजाबी बहुत अच्छी भाषा है, बंगाली बहुत अच्छी भाषा है।...(व्यवधान) हमारे अपने जय महाराष्ट्र की मराठी भाषा बहुत अच्छी है, कन्नड़ अच्छी भाषा है। सारी भाषाएं अच्छी होती हैं। गुजराती वगैरह सब बहुत अच्छी भाषाएं हैं। हमारे यहां एक से एक बढ़कर भाषाएं हैं और बहुत सारी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैथिली भाषा को भी



शामिल किया गया है और सही शामिल किया गया है। मैथिली विद्वानों की भाषा है। लेकिन और भी भाषाएं जैसे बोड़ोलैंड की भाषा है, मणिपुर की भाषा है, जिन्हें अनुसूची में शामिल किया गया है, जो बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। मेरा कहना यह है कि जो कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, उन भाषाओं को भी शामिल किया गया है और सही हुआ है। लेकिन करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, जो 25 करोड़ लोगों की भाषा है, ऐसा लोग कहते हैं, यह देश-विदेशों में भी लोकप्रिय भाषा है, लेकिन उसे आज तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए जो हमारी इतनी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं और जिनकी तारीफ हो रही है, जिनके कारण पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है, श्री संजय निरूपम, हमारे छोटे भाई उधर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत सहारा और सहयोग दिया है। लेकिन उन फिल्मों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए महत्व नहीं दिया जाता है,

अध्यक्ष महोदया : डा.गिरिजा व्यास, आप बोलिये।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैडम, मैं कंकलूड कर रहा हूं। मैं शायद पहली बार आपके सामने बोल रहा हूं, इसलिए शायद आपके सामने सही सही नहीं बोल पा रहा हूं या फिर थोड़ा झिझक रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप भोजपुरी का एक वाक्य बोलकर समाप्त कीजिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं वही करने वाला हूं। मैं इसके बाद बंगाली पर नहीं जाऊंगा, मराठी पर नहीं जाऊंगा, मैं भोजपुरी पर रहूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि यह करोड़ों लोगों की भाषा है और जो हमारी भोजपुरी फिल्में बाहर जाती हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ नहीं बना पाती हैं, चूंकि यह भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जिस दिन भोजपुरी भाषा को यहां से संविधान की वैलिडिटी एक्सेप्टेबिलिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और लीगेलिटी मिलेगी तो शायद हमारी फिल्में और भोजपुरी इंडस्ट्री जो फल-फूल रहा है और तरक्की कर रहा है, यह और नये आयाम और मुकाम तक पहुंच पायेगी।

इसलिए मैं आज आपके सामने पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। माननीय प्रधान मंत्री जी सामने बैठे हैं, मैं नतमस्तक होकर, नम्रतापूर्वक प्रधान मंत्री जी को प्रणाम करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द बाकी भाषाओं की तरह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे। बाकी भाषाओं की तरह सारी भाषाएं अच्छी होती हैं, मां सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी मां से बढ़कर नहीं हो सकती। यही कहते हुए मैं चाहूंगा कि भोजपुरी भाषा को जल्द से जल्द भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जो भी माननीय सदस्य अपने आपको एसोसिएट करना चाहते हैं, वे सदन के सभा पटल पर अपने नाम भेज दीजिए। डा.गिरिजा व्यास, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सर्वश्री पी.एल. पुनिया, डा.गिरिजा व्यास, श्री रामकिशुन, श्री नीरज शेखर सिंह, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री कीर्ति आजाद, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री संजय जायसवाल, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री रमेन डेका, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, प्रो. रामशंकर, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री कमल किशोर कमांडो, श्री निनोंग ईरींग, श्रीमती मीना सिंह, डा.विनय कुमार पाण्डेय, श्री रतन सिंह, श्रीमती संतोष चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री पी.टी. थॉमस, डा.काकोली घोष दस्तिदार, श्री अजय कुमार तथा श्री शैलेन्द्र कुमार अपने आपको श्री शत्रुघ्न सिन्हा के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये और उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य की भावना से अपनी भावना, राजस्थान के समस्त सदस्यों की भावना और राजस्थानवासियों की भावनाओं को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को भी सम्मिलित किया जाए।

महोदया, यह वह भाषा है, जिसकी भाषा में लिखे हुए दोहों से हमारे वीरों की भुजाएं फड़फड़ा उठती थीं और वे वीरगति की परवाह किये बगैर युद्ध को जारी रखते थे। यह हमारी अस्मिता और हमारी वीरता की भाषा है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं - 'मां ही एड़ों पूत जण्यो, जेड़ो वीर प्रताप, सोया सूं अकबर डरे, जाणि सिरहाने सांप।' केवल इस बात को सोचकर कि अकबर तक जैसे सिरहाने सांप को देखकर डरता है, ऐसे पूत को तू जन्म दे। इस बात को सुनकर माताओं के मुख ये यह बात निकलती थी कि अपनी कोख से हम भी ऐसे ही पुत्रों को जन्म दें। एक ऐसी भाषा, जिसने उपनिषदों की अच्छी ट्रांसलेशन करके उन्हें जनभाषा तक पहुंचाया। ऐसी भाषा, जिसने साहित्य को सर्वोपरि पहुंचाया, चाहे वह कहानी जगत हो, उपन्यास जगत हो या कविता जगत हो, उसमें अपना स्थान बनाया। जो भाषा आज की संस्कृति के अनुरूप है, जो भाषा समसामयिक भी है, जिस भाषा में अनेक फिल्मों, गीत बने हैं और हमारी संस्कृति हमारी इस भाषा के द्वारा ही जानी जाती हैं।

मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आज के एपिसोड भी देख लें, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि आप फिल्में देख लें, उनमें भी राजस्थान की संस्कृति की छाप ही हमेशा दिखाई देती है। हमारी भाषा के बगैर हमारी संस्कृति उच्च स्तर पर पहुंच नहीं सकती। इसलिए हम सबकी तरफ से सरकार से अपील है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थान की भाषा को सम्मिलित करने का कष्ट करें तथा भोजपुरी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप लोग अपने नाम सदन के सभा पटल पर भेज दीजिए।

श्री पी.एल.पुनिया, श्री दुष्यंत सिंह, श्री अजय कुमार, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेश जोशी, श्री हरीश चौधरी, श्री पी.टी.थामस, श्री ताराचन्द्र भगोरा, डा.किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, श्री लाल चंद कटारिया, श्री इज्यराज सिंह, श्री बद्री राम जाखड़, श्री रतन सिंह, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, श्री गोपाल सिंह शेखावत, श्री भरत राम मेघवाल, श्रीमती काकोली घोष दस्तिदार, श्री कमल किशोर कमांडो, डा. गिरिजा व्यास द्वारा उठाये गये विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।



13.05 hrs.

RE: A COURT CASE IN RUSSIA SEEKING BAN ON BHAGWAT GEETA

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, with your permission, I would like to share information with this distinguished House. I am sorry, Madam, my voice is cracked. As the Leader of the Opposition and other hon. Members will recollect, there was an agitation when the news appeared that some organizations in Tashkent in Russia, moved in the Court and sought a ban on *Bhagwad Gita*, because of an extremist language it has.

Yesterday, I received information from the Foreign Secretary that the higher court, in which the case was being heard, have rejected the petition and clearly demonstrated that even those who filed the petition and made comments, did not go through the original text of the language. They depended on the translation of somebody and on the basis of that came to some erroneous conclusions. As the hon. External Affairs Minister, while responding to the queries of the hon. Members, stated that it was absurd and his observations have been vindicated by the judgment of the Russian court.

I thought that I should share this information with the hon. House.

13.06 hrs.**VALEDICTORY REFERENCE**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Ninth Session of the Fifteenth Lok Sabha, which commenced on 22nd November, 2011, is coming to a close today.

During this Session, we had 24 sittings and the House sat for 85 hours and 01 minute.

The Session saw the disposal of important Financial, Legislative and other Business. Discussion on Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-12 lasted for 3 hours and 24 minutes before the Demands were voted and the related Appropriation Bill was passed.

Discussion on the Supplementary Demand for Grant (Railways) for 2011-12 was held on 13th and 16th December, 2011. The discussion lasted for over 5 hours and 21 minutes, in which 96 Members took part, before the Demand was voted and the Appropriation Bill was passed.

During the Session, 27 Bills were introduced and 18 Bills were passed. Some of the important Bills passed were the Damodar Valley Corporation (Amendment) Bill, 2011; the New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2010; the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2011; the Life Insurance Corporation (Amendment) Bill, 2009; the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010; the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011; the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2011; the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011; the Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill, 2011; the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011; the Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.

The House also passed the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 and the Whistle Blowers Bill, 2011.

During the Session, 400 Starred Questions were listed, out of which, only 41 Questions could be answered orally. Thus, on an average, about 2.05 Questions could be answered per day, which you will agree is extremely low. Written replies to the remaining Starred Questions along with 4,600 Unstarred Questions were laid on the Table.

About 168 Matters of Urgent Public Importance were raised by the Members after the Question Hour and by sitting late in the evening.

Hon. Members also raised 314 Matters under Rule 377.

The Standing Committees presented 34 Reports to the House.

The House also held two Short Duration Discussions under Rule 193 on subjects of Urgent Public Importance, namely (i) on the Statement laid on the Table on 22nd November, 2011 by the Minister of Finance regarding the inflation situation in India; and (ii) on the situation arising out of the threat being posed to the very existence of the River Ganga and the Himalayas due to their ruthless exploitation. The discussions on these two important matters concluded with the reply of the Ministers concerned. A discussion on the increase in agrarian crisis in the country and the incidence of suicides by farmers by Shri Basu Deb Acharia, remained part-discussed.

During the Session, an Adjournment Motion on the situation arising out of money deposited illegally in foreign banks and action being taken against the guilty persons was discussed for five hours and 36 minutes and negatived by the House.

The House also adopted a motion, moved by the Minister of Parliamentary Affairs regarding constitution of a Committee of both the Houses, to be called the 'Committee for Welfare of Other Backward Classes' (OBCs).

During the Session, three important matters were raised by way of Calling Attention, namely (i) the situation arising out of non-revision of wages of employees of IDBI Limited; (ii) the need to take adequate safety measures to protect the lives of Safai Karamcharis (sewer cleaners) and provide health

insurance cover to them; and (iii) the situation arising out of spread of Encephalitis and Brain Fever in various parts of the country, particularly in Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. In response to these Calling Attentions, the Ministers concerned made statements and also replied to the clarifications sought by the Members.

As many as 39 Statements were made by the Ministers on various other important subjects including four Statements made by the hon. Minister of Parliamentary Affairs on Government Business.

Unfortunately, which is a matter of great concern for all of us, is that no Private Members' Business could be taken up during the Session due to forced adjournment of the House.

In this Session, the House sat late for 22 hours and 12 minutes. But, regrettably we lost over 76 hours and 21 minutes of time due to interruptions followed by forced adjournments. Such forced adjournments compromise the authority and supremacy of Parliament.

I would like to thank the hon. Deputy-Speaker and my colleagues in the Panel of Chairmen for their help and cooperation in the completion of business of the House. I am extremely grateful to the hon. Prime Minister, the Leader of the House, the Leader of Opposition, the Chairperson of UPA, the Minister of Parliamentary Affairs, the Leaders of various Parties and Groups as well as the Chief Whips and the hon. Members of the House for their cooperation. I would also like to thank, on behalf of all of you, our friends in the Media.

I take this opportunity to convey my deep appreciation to the Secretary-General for the competent and expert assistance he has rendered to me. I compliment the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat for their dedicated and prompt service to the House. I also thank the allied agencies for their able assistance in the conduct of the proceedings of the House.

I wish you all a very Happy New Year.

SEVERAL HON. MEMBERS: Same to you, Madam.

13.15 hrs.

NATIONAL SONG

MADAM SPEAKER: The hon. Members may now stand up as *Vande Mataram* would be played.

The National Song was played

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.

